समेकित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों पर आधारित संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत हेतु उत्पादन टैरिफ के निर्धारण की दशाएं और शर्ते और संबंधित विषय वस्तु) विनियम 2012

(दिनांक 25.05.2016 की अधिसूचना तक समेकित)

विनियम का नाम	विनियम का क्रमांक	अधिसूचना दिनांक
छ.ग.रा.वि.नि. आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों पर आधारित संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत हेतु उत्पादन टैरिफ के निर्धारण की दशाएं और शर्ते और संबंधित विषय वस्तु) विनियम 2012	42 / सी.एस.ई.आर.सी. / 2012	27.07.2012
छ.ग.रा.वि.नि. आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों पर आधारित संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत हेतु उत्पादन टैरिफ के निर्धारण की दशाएं और शर्ते और संबंधित विषय वस्तु) (प्रथम संशोधन) विनियम 2013	47 / सी.एस.ई.आर.सी. / 2013	14.03.2013
शुद्धिपत्र – छ.ग.रा.वि.नि. आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों पर आधारित संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत हेतु उत्पादन टैरिफ के निर्धारण की दशाएं और शर्ते और संबंधित विषय वस्तु) (प्रथम संशोधन) विनियम 2013	62 / सी.एस.ई.आर.सी. / 2014	30.12.2014
शुद्धिपत्र – छ.ग.रा.वि.नि. आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों पर आधारित संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत हेतु उत्पादन टैरिफ के निर्धारण की दशाएं और शर्ते और संबंधित विषय वस्तु) (प्रथम संशोधन) विनियम 2013	63 / सी.एस.ई.आर.सी. / 2014	30.12.2014
छ.ग.रा.वि.नि. आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत हेतु उत्पादन टैरिफ के निर्धारण की दशाएं और शर्ते और संबंधित विषयवस्तु) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2016	68 / सी.एस.ई.आर.सी. / 2016	21.03.2016
शुद्धिपत्र – छ.ग.रा.वि.नि. आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों पर आधारित संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत हेतु उत्पादन टैरिफ के निर्धारण की दशाएं और शर्ते और संबंधित विषयवस्तु) (द्वितीय संषोधन) विनियम, 2016	69 / सी.एस.ई.आर.सी. / 2016	25.05.2016

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग
सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर

दिनांक 16 जनवरी 2014

छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों पर आधारित संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत हेतु उत्पादन टैरिफ के निर्धारण की दषाएं और शर्तें और संबंधित विषयवस्तु) विनियम, 2012.

क्रमांक 56/छ.रा.वि.नि.आ./2012– भारत सरकार, पर्यावरण हितैषी होने के कारण ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोंतो को विकसित करने पर बल दे रही है। विद्युत अधिनियम, 2003 में भी भारत सरकार द्वारा इस बारे में नीति निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है एवं ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोंतों को आपने क्षेत्राधिकार में प्रोत्साहित करने हेतु राज्य विद्युत नियामक आयोगों को निर्देषित किया गया है।

केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा के.वि.नि.आ.(नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोंतों से टैरिफ निर्धारण की दषाएं और शर्तें) विनियम, 2012 अधिसूचित किया गया है, जिसके अंतर्गत विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा तकनीकों के लिए टैरिफ के निर्धारण संबंधी पहलुओं की चर्चा की गई है। यद्यपि ये विनियम विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61 के अधीन केन्द्रीय क्षेत्र की और अंतर्राज्यीय उत्पादन परियोजनाओं पर प्रयोज्य हैं, तथापि इन्हें नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोंतों से विद्युत उत्पादन से संबंधित विषयों को लेकर राज्य विद्युत नियामक आयोगों के लिए मार्गदर्षी कारक के तौर पर विचार में लिया जा सकता है।

पवन ऊर्जा तकनीक केन्द्र (CWET) ने छत्तीसगढ़ राज्य में कतिपय ऐसे स्थलों को चिन्हित किया है, जिनकी पवन ऊर्जा क्षमताओं का दोहन, विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है, इसके लिए इस क्षेत्र में निवेषकों को आकर्षित करने के लिए सम्यक् टैरिफ देना आवष्यक है।

उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए और विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, सन् 2003) की धारा 61, 86 सहपठित 181 में निहित शक्तियों और इस संबंध में अन्य समस्त समर्थकारी शक्तियों के अनुसरण में

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक (आयोग) एतद्द्वारा पवन आधारित विद्युत उत्पादन केन्द्रों, छोटे जल विद्युत उत्पादन केन्द्रों, बायोमास आधारित विद्युत उत्पादन केन्द्रों, और सौर आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्रों के लिए, वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को विद्युत विक्रय के निमित्त टैरिफ की शर्तें और दषाएं विनिर्दिष्ट करते हुए निम्नांकित विनियम बनाता है।

इन विनियमों के अधिसूचित होने के उपरांत पूर्व में के विनियम, नामतः छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अपारंपरिक उत्पादन टैरिफ की अवधारणा हेतु निबंधन एवं शर्तें तथा संबंधित विषयवस्तु) विनियम, 2008 निरसित हो जाएंगे, तथापि निरसित किए गए विनियमों के अधीन पारित आदेष, उनमें विनिर्दिष्ट अवधि तक वैध रहेंगे।

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ–

1.1 ये विनियम, छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों पर आधारित संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत हेतु उत्पादन टैरिफ के निर्धारण की दषाएं और शर्तें और संबंधित विषयवस्तु) विनियम, 2012 कहलाएंगे;

1.2 ये विनियम, 1ली अप्रैल 2012 से लागू होंगे और लागू होने की तिथि से पॉच वर्ष की अवधि तक प्रभावषील रहेंगे;

1.3 ये विनियम, सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में विस्तारित होंगे और राज्य में स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा आधारित उत्पादन केन्द्रों पर प्रयोज्य होंगे।

2. परिभाषाएं और निर्वचन–

2.1 जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इन विनियमों में:–

क. **'अधिनियम'** से अभिप्रेत है, समय–समय पर यथासंशोधित विद्युत अधिनियम, 2003 (वर्ष 2003 का क्रमांक36);

ख. **'सहायक ऊर्जा खपत'** अथवा **'AUX'** किसी काल खण्ड के संबंध में, से अभिप्रेत है, विद्युत उत्पादन केन्द्र के सहायक उपकरणों द्वारा खपत और अंतर्संयोजन बिन्दु तक पारेषण में हानि पर व्यय की गई ऊर्जा की मात्रा और उसे उत्पादन केन्द्र की सभी इकाईयों के विद्युत उत्पादकों (जनरेटर) के टर्मिनल पर उत्पादित सकल ऊर्जा, संयुक्त (कंबाइंड) अथवा पृथक, के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया जाएगा;

ग. **''बायोमा ''**से अभिप्रेत है, कृषक और वानिकी संचालनों (उदाहरणार्थ, तिनके और डंठल) अथवा कृषि उत्पाद के प्रसंस्करण में उप–उत्पाद के रूप में उत्पादित (उदाहरणार्थ, भूंसी, छिले, वितेलित केक, आदि) समर्पित ऊर्जा वृक्षारोपणों अथवा जंगली झाड़ियों/खरपतवारों से प्राप्त लकड़ी; और कतिपय आद्यौगिक संचालनों से उत्पादित अनुपयोगी काष्ठ अथवा समय–समय पर नवीन ओर नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा यथाविनिर्दिष्ट अपशिष्ट पदार्थ;

घ. **''क्षमता उपयोगिता कारक''** **"Capacity Utilization Factor"** अथवा **''सी.यू.एफ.''** एक निश्चित कालखण्ड के लिए, से अभिप्रेत है उक्त कालखण्ड के संदर्भ में स्थापित क्षमता के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त बाह्य प्रेषित विद्युत जिसकी संगणना निम्नांकित सूत्र द्वारा की जायेगी;

$$\text{सी.यू.एफ.} = \frac{\text{संदर्भित कालखंड में सकल उत्पादन} \times 100}{\text{स्थापित क्षमता} \times \text{संदर्भित कालखंड के दौरान कुल घंटे (बंद घंटों सहित)}}$$

ङ. **''पूजी लागत''** से अभिप्रेत है, विनियम 12,24,28,35 और 50 में संबंधित नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत के लिए यथापरिभाषित;

च. **''सी.ई.आर.सी.''** से अभिप्रेत है, केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग;

छ. **''आयोग''** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग;

ज. **''प्रवर्तन में लाना''** (कमीशनिंग) से अभिप्रेत है, प्रणालियों और उत्पादन संयंत्र के घटकों की जॉच और संचालन, जैसी कि उत्पादन संयंत्र के सफल तुल्यकालन (सिंक्रोनाइजेशन) क लिए आवश्यक हो। प्रवर्तन में लाने की प्रक्रिया न केवल नई परियोजनाओं पर लागू की जा सकेगी अपित विस्तार, नवीनीकरण अथवा सुधार के चलते मौजूदा इकाईयों और प्रणालियों पर भी प्रयुक्त की जा सकेगी;

झ. **''अंतिम दिनांक'' "Cutoff Date"** से अभिप्रेत है, परियोजना के वाणिज्यिक संचालन के दो वर्ष के समापण वर्ष के मार्च माह की 31वी दिनांक और किसी वर्ष की अंतिम तिमाही में संचालन में घोषित हुई परियोजना के प्रकरण में अंतिम दिनांक वाणिज्यिक संचालन में आने के तीन वर्ष उपरांत समापन वर्ष की 31 वीं मार्च;

ञ. **''नियंत्रण अवधि अथवा पुनरीक्षण अवधि''** से अभिप्रेत है वह अवधि जिसके दौरान इन विनियमों में विनिर्दिष्ट टैरिफ निर्धारण के मानदण्ड वैध बने रहेंगे;

ट. **''वाणिज्यिक परिचालन की दिनांक''** अथवा **''सी.ओ.डी.''** से अभिप्रेत है—

(i) विद्युत उत्पादन ईकाई के संबंध में विद्युत उत्पादक द्वारा हितग्राही को सूचित करके रूपांकित दशा में (अनियंत्रणीय प्रतिमानकों में परिवर्तनों को विचार में लने के उपरांत) अधिकतम निरंतर दर (एम.सी.आर.) अथवा सफल परीक्षण द्वारा स्थापित क्षमता (आई.सी.) का प्रदर्शन करने के उपरांत घोषित दिनांक।

(ii) विद्युत उत्पादन स्टेशन के संबंध में उपरोक्त कंडिका (i) के अनुसार, विद्युत उत्पादन स्टेशन की अंतिम ईकाई अथवा खंड (ब्लॉक) के वाणिज्यिक संचालन की दिनांक;

ठ. **''वित्तीय वर्ष''** से अभिप्रेत है, किसी कलैण्डर वर्ष की अप्रैल प्रथम दिनांक से प्रांरभ होकर और परवर्ति कलैण्डर वर्ष की 31 वीं मार्च को समाप्त होने वाली अवधि;

ड. [2][**''फर्म विद्युत''** से अभिप्रेत है, परियोजना की वाणिज्यिक संचालन की तिथि से और उसके उपरांत प्रदाय की गई विद्युत;][2]

ढ. **''सकल(ग्रॉस) कैलोरी मूल्य''** अथवा **''जी.सी.वी.''** उत्पादन स्टेशन में उपयोग किए गए ईंधन के संबंध में अभिप्रेत है, एक किलोग्राम ठोस ईंधन से अथवा एक लीटर द्रव ईंधन अथवा एक मानक घन मीटर गैस ईंधन, जैसी भी स्थिति हो, के पूर्णतः दहन से उत्पन्न होने वाली ऊष्मा जिसे किलो कैलोरी में मापा गया है;

ण. **''सकल स्टेशन ऊष्मा दर''** अथवा **''जी.एस.एच.आर.''** से अभिप्रेत है, विद्युत जनरेटर के टर्मिनल पर एक किलोवाट प्रति घंटा विद्युत ऊर्जा की मात्रा के उत्पादन हेतु आवश्यक उष्मीय ऊर्जा की किलो कैलोरी में मापी गई मात्रा ;

त. **''संकर सौर ताप विद्युत संयंत्र'' ''Hybrid Solar Thermal Power Plants''** से अभिप्रेत है, ऐसा सौर तापीय विद्युत संयंत्र, जो विद्युत उत्पादन के लिए सौर ऊर्जा के साथ—साथ नवीकरणीय ऊर्जा आगम स्त्रोंतों का उपयोग करता है, और जिसमें सौर ऊर्जा घटक से 75प्रतिशत से अन्यूण विद्युत का उत्पादन होता है;

थ. **''इनफर्म पावर''** से अभिप्रेत है, विद्युत उत्पादन स्टेशन/इकाई द्वारा वाणिज्यिक संचालन की दिनांक की घोषणा से पूर्व उत्पादित विद्युत;

द. **''स्थापित क्षमता''** अथवा **''आई.सी.''** से अभिप्रेत है, विद्युत उत्पादन स्टेशन की सभी इकाईयों की नाम—पट्टिकाओं पर अंकित क्षमताओं का योग अथवा आयोग द्वारा, समय—समय पर विद्युत उत्पादन स्टेशन की (उत्पादक जनरेटर टर्मिनल पर आकलित/परीक्षित)अनुमोदित क्षमता;

2. विनियम क्रमांक 68/छ.ग.रा.वि.नि.आ./2016 द्वारा दिनांक 21.03.2016 से प्रतिस्थापित

ध. **''अंतर्संयोजन बिन्दु''** से अभिप्रेत है, यथास्थिति नवीकरणीय विद्युत उत्पादन सुविधा से यथास्थिति पारेषण प्रणाली अथवा वितरण प्रणाली का अंतर्संयोजन बिन्दुः–

i. बायोमास विद्युत, गैस जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन विद्युत प्ररियोजनाओं और सौर तापीय विद्युत परियोजनाओं के संबंध में, अंतर्संयोजन बिन्दु ग्रिड उपकेन्द्र के एच.व्ही. साईड पर लाईन आईसोलेटर होगा;

ii. पवन ऊर्जा परियोजनाओं, सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं लघु जल विद्युत के संबंध में अंतर्सयोजन बिन्दु उत्पादन ट्रांसफार्मर की एव.व्ही. साईड पर लाईन आईसोलेटर होगा;

न. **''अनुज्ञप्तिधारी''** से अभिप्रेत है, राज्य में संचालनरत् कोई वितरण अनुज्ञप्तिधारी;

प. **एम.एन.आर.ई.** से अभिप्रेत है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार;

फ. **''अधिकतम निरंतर रेटिंग''** अथवा **'एम.सी.आर.'** नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित ताप उत्पादन केन्द्र की किसी इकाई के संबंध में अभिप्रेत है, नियत पैरामीटरों पर संयंत्र निर्माता द्वारा आश्वासित, उत्पादक (जनरेटर) की छोर पर अधिकतम निरंतर उत्पादन;

ब. **''लघु/सूक्ष्म जलीय''** से अभिप्रेत है, ऐसी जल विद्युत परियोजनाएं जिनकी स्टेशन क्षमता सूक्ष्म जलीय विद्युत संयंत्रों के लिए 100 वॉट तक है और लघु जलीय के लिए 101 वॉट से 2 मेगावॉट तक है;

भ. [2][**''नॉन फर्म विद्युत''** से अभिप्रेत है, नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादित विद्युत, जिसका घंटे दर घंटे परिवर्तन, धूप, बादल, पवन, आदि प्राकृतिक लक्षणो पर आश्रित है, जिसका शुद्ध पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता;][2]

म. **''गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन''** से अभिप्रेत है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें बायोमास के उपयोग से श्रृंखलाबद्ध रूप में एक से अधिक प्रकार की ऊर्जा (जैसे–वाष्प और विद्युत) उत्पन्न की जाती है। बशर्ते की ऐसी परियोजना विनियम 4.4 में विनिर्दिष्ट पात्रता मानदण्डों पर सह–उत्पादन परियोजना के रूप में अर्हता प्राप्त हो;

य. **''परियोजना/संयंत्र''** से अभिप्रेत है, निकासी प्रणाली को सम्मिलित करते हुए अंतर्सयोजन बिन्दु तक कोई उत्पादन केन्द, और लघु जल विद्युत उत्पादन केन्द्र के प्रकरण में इसमें सम्मिलित हैं, यथास्थिति उत्पादन सुविधा के समस्त घटक जैसे– बांध, आगम जल, परिचालक प्रणाली, विद्युत उत्पादन केन्द्र और उस स्कीम की समस्त उत्पादन इकाईयां, जैसी कि विद्युत उत्पादन हेतु विभाजित की गई हों;

र **''नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत संयंत्र''** से अभिप्रेत है, पारंपरिक विद्युत संयंत्रों से भिन्न, ग्रिड गुणवत्ता का विद्युत उत्पादन करने वाले ऐसे नवीकरणीय ऊर्जा के विद्युत संयंत्र जिन्हें नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया जाये;

ल. **''नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत''** से अभिप्रेत है, नवीकरणीय स्त्रोत जैसे लघु जल, पवन, सौर, जिसमें इनके समेकित चक्र का एकीकरण सम्मिलित है, बायोमास, जैव ईंधन सह–उत्पादन, नगरीय अथवा नगर पालिक अपशिष्ट और ऐसे अन्य स्त्रोत जिन्हें नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया जाये;

व. **''अनुसूचित उत्पादन''** किसी समय परअथवा किसी कालखंड अथवा समय–अंतराल के लिए से अभिप्रेत है प्रांतीय भार प्रेषण केन्द्र (एस.एल.डी.सी.) द्वारा प्रदत्त, मेगावाट अथवा मिलियन यूनिटों में अभिवरूक्त, बस पर, उत्पादन की अनुसूचित मात्रा;

श. **''लघु जल–विद्युत उत्पादन स्टेशन''** अथवा ''एस.एच.टी.'' से अभिप्रेत है, 25 मेगावाट तथा 25 मेगावाट तक के लिए जल–विद्युत उत्पादन स्टेशन;

ष. **''सौर पी.व्ही. विद्युत''** से अभिप्रेत है, ऐसे सौर फोटोवोल्टिक विद्युत परियोजना जो सूर्य के प्रकाश को फोटोवोल्टिक तकनीक से सीधे विद्युत में परिवर्तित करते हैं;

2. विनियम क्रमांक 68/छ.ग.रा.वि.नि.आ./2016 द्वारा दिनांक 21.03.2016 से प्रतिस्थापित

स. **''सौर तापीय विद्युत''** से अभिप्रेत है, ऐसी सौर तापीय विद्युत परियोजना जो सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत में परिवर्तित करने के लिए या तो लाईन फोकस अथवा बिन्दु फोकस सिद्धांत पर आधारित सांद्र सौर विद्युत तकनीक का उपयोग करते हैं;

त्र. **''राज्य''** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य;

ह. **''टैरिफ अवधि''** से अभिप्रेत है, वह अवधि जिसके लिए आयोग द्वारा इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट मानदण्डों के आधार पर टैरिफ का निर्धारण किया जाना है;

ज्ञ. **''उपयोगी जीवनकाल''** निकासी प्रणाली को सम्मिलित करते हुए किसी उत्पादन केन्द्र की किसी इकाई के संबंध में, से अभिप्रेत है, ऐसी उत्पादन सुविधा के वाणिज्यिक संचालन की दिनांक से निम्नांकित अवधि, अर्थात;

i.	पवन ऊर्जा विद्युत परियोजना–	25 वर्ष
ii.	लघु जल विद्युत संयंत्र–	35 वर्ष
iii.	बायोमास विद्युत संयंत्र–	20 वर्ष
iv.	गैर जीवाश्म ईंधन (Non-fossil) सह–उत्पादन–	20 वर्ष
v.	सौर पी.व्ही./सौर तापीय विद्युत संयंत्र–	25 वर्ष

क्ष. **''वर्ष''** से अभिप्रेत है, वित्तीय वर्ष;

2.2 ऐसे शब्द और अभिव्यक्तियां जिनका उपयोग इन विनियमों में किया गया है किन्तु उन्हें यहॉ परिभाषित नहीं किया गया, का अभिप्राय वहीं होगा, जो अभिप्राय उनका अधिनियम में अथवा आयोग द्वारा रचित अन्य विनियमों में है।

3. क्षेत्र और प्रयोज्यता की सीमा–

3.1 ये विनियम ऐसी समस्त नवीकरणीय विद्युत, (एतस्मिनपश्चात् जिन्हें आर.ई. के रूप में संदर्भित किया गया है) परियोजनाओं को प्रयोज्य होंगे, जो 1ली अप्रेल 2012 के पश्चात् वाणिज्यिक प्रचालन एवं छत्तीसगढ़ राज्य में ऐसे नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से वितरण अनुाप्तिधारियों द्वारा दीर्घ अवधि विद्युत विक्रय अनुबंध, जो 20 वर्ष या अधिक अवधि के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में लागू होंगे और जिनके नवीकरणीय स्त्रोत आधारित किसी उत्पादन केन्द्र अथवा ईकाई का टैरिफ, अधिनियम की धारा 62 सहपठित धारा 86 के अधीन आयोग द्वारा निर्धारित किया जाना है।

परन्तु, पवन, लघु जल विद्युत परियोजनाओं, बायोमास विद्युत, गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन परियोजनाओं, सौर पी.व्ही,. सौर तापीय और लघु सौर विद्युत परियोजनाओं के प्रकरण में, मूल टैरिफ का दावा करने हेतु पात्रता के उद्देश्य से ये विनियम, विनियम 4 में विनिर्दिष्ट पात्रता मानदण्ड पूरे होने के अधीन, लागू होंगे।

3.2 [2][ऐसी नवीकरणीय विद्युत परियोजनाओं के मामले में जिनका वितरण अनुज्ञप्तिधारी से 20 वर्ष या अधिक अवधि हेतु दीर्घावधि विद्युत अनुबंध है, जिन्होंने 01 अप्रैल 2012 से पूर्व वाणिज्यिक संचालन हेतु तिथि अर्जित कर ली है उन पर प्रयोज्य टैरिफ (निश्चित प्रभार), उस टैरिफ अवधि की समयावधि के दौरान जिसे याचिका क्रमांक 22, सन् 2011 (T), में आदेश दिनांक 28 दिसम्बर, 2011 में नियत किया गया है, जहां विद्युत प्रभारों को इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार अभिनिश्चित किया जाएगा, याचिका क्रमांक 22, सन् 2011 (T), में आदेश दिनांक 28 दिसम्बर, 2011 और उसमें आयोग द्वारा समय–समय पर जारी संशोधनों से शासित होगा। तथापि, ऐसी परियोजनाओं के लिए याचिका क्रमांक 22, सन् 2011 (T), में प्रदत्त आदेश दिनांक 28 दिसम्बर, 2011 की वैधता पूरी हो जाने पर नवीन टैरिफ का निर्धारण, उत्पादनकर्ता अथवा अनुज्ञप्तिधारी के अनुरोध पर इन विनियमों में सामान्य/परियोजना विशेष के आधार पर

विनिर्दिष्ट मानदण्डों के अनुरूप किया जाएगा। आगे ऐसे प्रकरणों में टैरिफ आदेश प्रचलन के उपरांत टैरिफ के निर्धारण हेतु तत्समय प्रचलित आदेशों में विनिर्दिष्ट किए अनुसार पूंजी लागत अनुमत होगी और अन्य वित्तीय मानदण्ड इन विनियमों से शासित होंगे। मौजूदा परियोजनाओं की अन्य सभी दशाएं और शर्ते इन विनियमों से शासित होंगी।][2]

4. पात्रता मानदण्ड–

4.1 पवन विद्युत परियोजना– ऐसी नवीन विद्युत परियोजनाएं जो नये संयंत्र और मशीनों का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक प्रचालन (COD) की तिथि 1 अप्रैल 2012, के उपरांत अर्जित करती हैं।

4.2 लघु विद्युत परियोजना– ऐसी नवीन लघु विद्युत परियोजनाएं जो 1 अप्रेल 2012 के उपरांत वाणिज्यिक परिचालन (COD) की दिनांक अर्तित करती हैं और राज्य संपर्क अभिकरण/राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित स्थानों पर अवस्थित हैं, नवीन संयंत्र और मशीनरी का उपयोग करनी है, और जिनकी स्थापित विद्युत संयंत्र क्षमता एकल ठिकाने पर 25 मेगावॉट के समतुल्य अथवा उससे कम है।

4.3 बायोमास विद्युत परियोजना जो रेंकिन साईकल तकनीक पर आधारित हैं– नवीन बायोमास विद्युत परियोजनाएं जो 1 अप्रैल 2012 के उपरांत वाणिज्यिक परिचालन (COD) की दिनांक अंर्जित करती हैं और रेंकिन साईकल तकनीक पर आधारित नवीन संयंत्र और मशीन का उपयोग करती है और बायोमास ईंधन स्त्रोंतों का उपयोग करती है। परन्तु, ऐसे जीवाश्म ईंधन का उपयोग इन विनियमों के, विनियम 41 के अधीन निश्चित सीमा के भीतर करती हैं।

4.4 गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन परियोजना– गैर जीवाश्म ईंधन आधारित नई सह–उत्पादन परियोजनाएं जिन्होंने वाणिज्यिक संचालन (COD) की दिनांक 1ली अप्रेल, 2012 के उपरांत प्राप्त कर ली है, वे गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन परियोजना के रूप में अभिहित होने के लिए अर्ह होंगी, यदि वे नये संयंत्र और मशीनरी का उपयोग करती हैं और परिभाषा के अनुरूप हैं और निम्नानुसार दी गई अर्हताकारी आवश्यकता की पूर्ति भी करती है;

परन्तु, इन विनियमों के विनियम 55 के अंतर्गत दी गई सीमाओं में जीवाश्म ईंधन का उपयोग करती है।

4.5 सौर पी.व्ही, सौर तापीय विद्युत परियोजनाएं, सौर छतोपरि पी.व्ही. प्रणलियॉ और लघु सौर विद्युत परियोजनाएं–नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित तकनीकों पर आधारित ऐसी परियोजनाएं जो 1ली अप्रेल, 2012 के उपरांत वाणिज्यिक संचालन (COD) की दिनांक प्राप्त करती है।

अध्याय–1 : सामान्य सिद्धांत

5. नियंत्रण अवधि अथवा पुनरीक्षण अवधि–

5.1 इन विनियमों के अधीन नियंत्रण अवधि अथवा पुनरीक्षण अवधि पॉच (5) वित्तीय वर्ष की होगी। नियंत्रण अवधि का पहला वर्ष 1ली अप्रैल 2012 से प्रारंभ होगा और वित्तीय वर्ष 2016–2017 तक अवधि को सम्मिलित करेगा।

परन्तु आयोग द्वारा पी.व्ही. और सौर तापीय परियोजनाओं की बैंचमार्क पूंजी लागत वार्षिक रूप से पुनरीक्षित की जा सकेगी।

परन्तु यह और कि जैवपिंड (बायोमास) का मूल्य केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग की भांति पुनरीक्षित किया जा सकेगा।

2. विनियम क्रमांक 68/छ.ग.रा.वि.नि.आ./2016 द्वारा दिनांक 21.03.2016 से प्रतिस्थापित

परन्तु यह भी कि नियंत्रण अवधि के दौरान वाणिज्यिक संचालन की दिनांक प्राप्त करने वाली नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए इन विनियमों के अनुसार निर्धारित टैरिफ, नीचे विनियम 6 में विनिर्दिष्ट टैरिफ अवधि के संपूर्ण दौरान नवीकरणीय विद्युत परियोजनाओं पर प्रयोज्य होता रहेगा।

परन्तु यह और भी कि अगली नियंत्रण अवधि के लिए विनियमों में संषोधन पृथक से अधिसूचित किए जाएंगे और अगली नियंत्रण अवधि के लिए संषोधन अधिसूचित नहीं कर दिए जाते, पुनरीक्षित विनियमों के अनुसार समायोजनों के अध्यधीन रहते हुए, इन विनियमों के अनुसार टैरिफ मापदंड प्रयोज्य बने रहेंगे।

6. टैरिफ अवधि–

6.1 इन विनियमों के अधीन, टैरिफ अवधि, नवीकरणीय विद्युत उत्पादन स्टेषनों के वाणिज्यिक संचालन की दिनांक से विचार में लिए जाएंगे।

6.2 [1][विभिन्न नवीकरणीय विद्युत परियोजनाएं जो 1 ली अप्रैल 2012 के उपरांत प्रारंभ हुई है (Commencing COD) और जिन पर मूल टैरिफ प्रयोज्य हैं उनके लिए टैरिफ अवधि 12 वर्ष की विचार में ली जाएगी। टैरिफ अवधि के दौरान टैरिफ का कोई पुनरीक्षण नहीं होगा।

परन्तु, ऐसा मौजूदा नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत संयंत्र जिन्होंने 1 ली अप्रैल 2012 से पूर्व वाणिज्यिक संचालन की दिनांक अर्जित कर ली है और परियोजना के उपयोगी जीवन काल हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी के साथ दीर्घावधि विद्युत क्रय अनुबंध है, उनके लिए टैरिफ अवधि नियंत्रण अवधि के सामान ही अर्थात् 5 वर्ष रहेगी।][1]

7. परियोजना विषेष के लिए टैरिफ–

7.1 प्रकरण दर प्रकरण आधार पर परियोजना विषेष के लिए टैरिफ, आयोग द्वारा निम्नलिखित प्रकार की परियोजनाओं हेतु निर्धारित किए जाएंगे;

i) [2][नगरपालिकीय अपशिष्ट आधारित परियोजनाएं, जब तक इस संबंध में आयोग द्वारा विशिष्ट विनियम अधिसूचित नहीं कर दिये जाते।][2]

ii) इन विनियमों में चिन्हित के अलावा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कोई अन्य नवीन, नवीकरणीय ऊर्जा तकनीकें

iii) संकर सौर तापीय विद्युत संयंत्र

iv) रैनकिन साइकल तकनीक पर आधारित के अलावा जल प्रषीतित कन्ड़ेसर वाली बायोमास परियोजनाएं

v) पुराने संयंत्र और मषीनी का उपयोग करके चालू की गई कोई उत्पादन इकाई/स्टेषन

vi) कोई परियोजना, यदि अनुज्ञप्तिधारी/विकासकर्ता परियोजना विषेष का टैरिफ चाहता हो,

परन्तु आयोग परियोजना विषेष के लिए टैरिफ का निर्धारण करते समय, इन विनियामें के सुसंगत अध्यायों से मार्गदर्षन प्राप्त करेगा।

7.2 इन विनियमों के अध्याय–2 के अधीन विनिर्दिष्ट वित्तीय मानदंड, परियोजना प्रारंभ होने के संबंधित वर्ष हेतु, लागत पूंजी को छोड़कर, सीलिंग प्रतिमान होंगे।

7.3 बायोमास परियोजनाओं/सह–उत्पादन के प्रकरण में, वाणिज्यिक संचालन की दिनांक (अदृढ़ विद्युत या इंफर्म पावर) के घोषित होने के पूर्व किसी अनुज्ञप्तिधारी के विद्युत प्रदाय की दर

1. विनियम क्रमांक 57/छ.ग.रा.वि.नि.आ./2013 द्वारा दिनांक 16.01.2014 से प्रतिस्थापित
2. विनियम क्रमांक 68/छ.ग.रा.वि.नि.आ./2016 द्वारा दिनांक 21.03.2016 से प्रतिस्थापित

ऊर्जा (परिवर्तनीय) प्रभारों के समतुल्य और गैर–दृढ़ (नान–फर्म) विद्युत की दर, विद्युत (परिवर्तनीय) प्रभारों धन (प्लस) 30 पैसे प्रति यूनिट (किलोवॉट) होगी।

ऐसी अन्य परियोजनाओं, जल परियोजनाओं सहित जिनमें ईधन लागत घटक नहीं होता, स्थिरीकरण अवधि अर्थात् वाणिज्यिक संचालन तिथि से पूर्व के दौरान उत्पादनकर्ता केवल वैधानिक प्रभारों जैसे जल प्रभारों, ड्यूटी, सेस जो वास्तव में राज्य सरकार को भुगतान की गई हो को वसूल करने का पात्र होगा और संचालक – संधारण की लागत तथा ब्याज की राषि लागत पूंजी का भाग होंगे। आगे, ऐसी परियोजनाओं के लिए जिन्हें इस विनियम के प्रारंभ होने से पूर्व, प्राविधिक टैरिफ प्रदान किए जा चुके है किन्तु जिनका वाणिज्यिक संचालन दिनांक 01 अप्रैल 2012 के उपरांत का है, यदि वे इन विनियमों के अधीन सामान्य टैरिफ का विकल्प देते हैं तो अदृढ़ विद्युत के विरूद्ध भुगतान में से राज्य सरकार को भुगतान किए गए प्रभारों को घटाकर हितग्राही द्वारा राषि का समायोजन छहः बराबर किष्तों में किया जाएगा। यदि ऐसी परियोजना द्वारा परियोजना विषेष को टैरिफ का विकल्प चुका जाता है तो ऐसा अर्जित राजस्व परियोजना की लागत पूंजी में से सैट दिया जाएगा।

8. टैरिफ के निर्धारण के लिए याचिकाएं और कार्यवाहियॉ–

8.1 आयोग स्वतः अपनी याचिका के आधार पर नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ होने पर अग्रेतर रूप से उन नवीकरणीय ऊर्जा तकनीकों के लिए जिनके लिए इन विनियमों में मानदंड विनिर्दिष्ट किए जा चुके हैं, मूल पूर्वता (जैनेरिक प्रिफरेन्षियल) टैरिफ निर्धारित कर सकेगा।

8.2 नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए प्रावधिक टैरिफ, ऐसे प्रकरण में जहॉ आयोग द्वारा सामान्य टैरिफ निर्धारण में विलंब होता है। केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा 1ली अप्रैल 2012 से संबंधित वर्ष के लिए तय टैरिफ होंगे, और अन्तर को तदनुसार समायोजित कर दिया जाएगा।

8.3 परियोजना विषेष के टैरिफ के निर्धारण हेतु आवेदन– कोई उत्पादन कंपनी, टैरिफ के निर्धारण हेतु कोई आवेदन यथा अद्यतन संषोधित छ0ग0 रा0वि0नि0आ0 (टैरिफ के निर्धारण हेतु अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कंपनी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले वितरण और आवेदन करने की तिथि) विनियम, 2004 (टैरिफ विनियम 2004) और समय–समय पर यथासंषोधित में दिए गए प्रपत्रों क अनुसार करेगी, परन्तु यदि हितग्रही द्वारा परियोजना विषेष के टैरिफ निर्धारण का विकल्प दिया जाता है तो उसे आयोग के सम्मुख उत्पादन कंपनी को प्रर्याप्त समय देते हुए परियोजना विषेष के टैरिफ का विकल्प देने हेतु स्पष्ट रूप से कारण दर्षाने के साथ याचिका प्रस्तुत करनी होगी। अन्य पक्ष की सुनवाई के उपरांत आयोग, संतुष्ट होने पर, आयोग द्वारा निर्णीत की जाने वाली दिनांक से प्रभावषील करते हुए सामान्य टैरिफ उस उत्पादनकर्ता विषेष पर लागू न करने की आदेषिका जारी करेगा और उत्पादन कंपनी से ऐसी परियोजना विषेष टैरिफ निर्धारण के लिए समस्त जानकारी देने के लिए कहेगा।

8.4 परियोजना विषेष के टैरिफ की याचिका के साथ वैसा शुल्क दिया जाएगा, जैसा कि सुसंगत विनियमों में निर्धारित किया जाए और साथ में निम्नानुसार दिए जाएंगे:

i) यथास्थिति प्रपत्र 1.1, 1.2, 2.1 और 2.2 में जानकारी और इन विनियमों से यथा संलग्न;

ii) तकनीकी और संचालन विवरणों की रूपरेखा देते हुए परियोजना प्रतिवेदन, सलि विषेष क पहलू, लागत पूंजी आधार और वित्तीय योजना आदि;

iii) सकल स्थिर परिसंपत्ति के पेटे लागत पूंजी के प्रमाण के तौर पर प्रेक्टिस कर रहे सनदी लेखापाल/लागत अंकेक्षक की ओर से प्रमाणपत्र जिसमें कोष, उधार, साम्या और यदि कोई हों तो सबसीडी का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए;

iv) समस्त प्रयोज्य शर्तों और दषाओं का विवरण और जिस अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण किया जाना है, उसके लिए अनुमोदित व्यय;

v) प्राप्त किसी सबसीडी या प्रोत्साहन की गणना का पूरा ब्यौरा देते हुए विवरण, जिसमें केन्द्र सरकार और/या राज्य सरकार से शोध्य या शोध्य माने जा सकने वाली राषियॉ सम्मिलित की जाएं;

vi) ऐसी अन्य जानकारी जिसकी याचिकाकर्ता की ओर से आयोग द्वारा याचिका के निराकरण हेतु आयोग द्वारा वांछा दी जाएं;

vii) सी.यू.एफ से संबंधित डाटा को सम्मिलित करते हुए तकनीकी डाटा।

8.5 टैरिफ संरचना के निर्धारण की कार्यवाहियॉ इस आयोग के कार्य संचालन विनियमों के अनुरूप होंगी।

9. टैरिफ संरचना–

9.1 नवीकरणीय ऊर्जा तकनीकों के लिए टैरिफ, एकल भाग टैरिफ होगा, जिसमें निम्नानुसार निष्चित लागत घटक सम्मिलित होंगे–

i) साम्या पर प्रतिफल (Return on equity);

ii) ऋणपूंजी पर ब्याज (Interest on loan capital);

iii) अवमूल्यण (Depreciation);

iv) कार्यषील पूंजी पर ब्याज (Interest on working capital);

v) संचालन और संधारण व्यय (Operation and maintenance expenses);

परन्तु नवीकरणीय ऊर्जा तकनीकों के साथ ईंधन लागत का घटक, जैसे बायोमास विद्युत पिरयोजनाएं और गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित सिह–उत्पादन परियाजनाएं, भी जुड़ा है तो दो घटकों के साथ एकल–भाग टैरिफ अर्थात् स्थिर लागत घटक और ईंधन लागत घटक निर्धारित किए जाएंगे।

10. टैरिफ रूपांकन–

10.1 [1][टैरिफ अवधि के लिए मूल टैरिफ का निर्धारण स्तरीकृत (levellised) आधार पर किया जाएगा।

परन्तु, दो घटक वाली नवीकरणीय ऊर्जा तकनीकों के लिए टैरिफ का निर्धारण स्थिर लागत घटक के लिए परियोजना के वाणिज्यिक संचालन तिथि के वर्ष को विचार में लेते हुए स्तरीकृत आधार पर किया जाएगा, जबकि ईंधन लागत घटक को संचालन के वर्ष के आधार पर विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

10.2 स्तरीकृत टैरिफ के संगणना के उद्देश्य से कर उपरांत भारित औसत पूंजीलागत के समतुल्य डिस्काउन्ट फैक्टर विचार में लिया जाएगा।

10.3 नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के उपयोगी जीवनकाल के लिए स्तरीकरण निकाला जाएगा, जबकि टैरिफ को ''टैरिफ अवधि'' के समतुल्य अवधि हेतु विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

परन्तु, ऐसे नवीकरणीय विद्युत संयंत्र जिन्होंने 1 ली अप्रैल, 2012 को वाणिज्यिक संचालन का दिनांक प्राप्त कर लिया है और परियोजना के उपयोगी जीवनकाल के लिए वितरण अनुज्ञप्तिधारी के साथ दीर्घावधि विद्युत क्रय अनुबंध हो चुका है, के लिए कोई टैरिफ स्तरीकरण नहीं निकाला जाएगा और टैरिफ 5 वर्ष के लिए विनिर्दिष्ट किया जाएगा।][1]

1. विनियम क्रमांक 57/छ.ग.रा.वि.नि.आ./2013 द्वारा दिनांक 16.01.2014 से प्रतिस्थापित/अन्तःस्थापि

11. नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोंतों से विद्युत उत्पादन के लिए प्रेषण–सिद्धांत

11.1 2[बायोमास विद्युत उत्पादन केन्द्र को छोड़कर समस्त नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत संयंत्रों को 'अवश्य चलने वाले' (Must-run) विद्युत संयंत्र के रूप में माना जाएगा और उन पर अनुसूचीकरण (शेड्यूलिंग) और गुणताक्रम प्रेषण सिद्धांत (Merit order dispatch principle) लागू नहीं किए जाएंगे। बायोमास विद्युत उत्पादन केन्द्र पर मासिक अनुसूचीकरण लागू किया जाएगा।

परंतु नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत संयंत्रों के लिए राज्यांतरिक ABT/विचलन निर्धारण प्रणाली/UI विनियम के अधिसूचना के उपरांत नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत संयंत्रों का अनुसूचीकरण एवं विचलन प्रभार राज्यांतरिक ABT/विचलन निर्धारण प्रणाली/UI विनियमन से शसित होंगे।

11.2 बायोमास विद्युत उत्पादन केन्द्र अगले महीने में अपने द्वारा किए जाने वाले विद्युत प्रदाय की एक मासिक अनुसूची, वितरण अनुज्ञप्तिधारी को माह की 23वीं दिनांक तक दे देंगे। यदि प्रचलित माह की 23वीं दिनांक तक बायोमास विद्युत उत्पादन केन्द्रों द्वारा अगले माह की मासिक अनुसूची नहीं प्रस्तुत की जाती तो समस्त गणना के उद्देश्यों के लिए प्रचलित माह की अनुसूची को विचार में लिया जाएगा। वितरण अनुज्ञप्ति द्वारा स्वीकृत मासिक अनुसूची को एक आवेदन के माध्यम से बायोमास संयंत्रों के द्वारा नोडल एजेंसी को दिए गए सूचना के आधार पर संशोधन किया जा सकेगा।

परंतु यह, कि अनुसूची में ऐसा संशोधन कम से कम दो दिवस की अवधि समाप्ति के पहले प्रभावी नही होगा।

परंतु यह भी कि अनुसूची में संशोधन की सूचना वितरण अनुज्ञप्तिधारी को दिए जाने वाले दिन और जिस दिन से संशोधन को लागू किया जाना है, उक्त दो दिवस की अवधि गणना से परे होगी।]2

[3]*[परंतु यह भी कि मासिक अनुसूची में वर्ष में केवल दो संषोधन की ही अनुज्ञप्ति दी जाएगी, जो कि क्रमिक महिनों (Successive-Months) के लिए लागू नही होगा।]*[3]

11.3 2[बायोमास विद्युत उत्पादन केन्द्र से वितरण अनुज्ञप्तिधारी को प्रदाय की गई विद्युत का भार कारक अनुसूचित मात्रा के आधार पर परिगणित किया जाएगा। भार कारक (Load Factor) की गणना निम्नानुसार की जाएगीः–

$$\text{भार कारक} = \frac{\text{माह के दौरान प्रदाय की गई यूनिटो की वास्तविक संख्या (MU)}}{\text{अनुसूचित मात्रा (MU)}}$$

11.4 बायोमास विद्युत उत्पादन केन्द्र के लिए निर्धारित दरें (निश्चित प्रभार+ऊर्जा प्रभार), 80% और अधिक भार कारक हेतु आधार दर होगी। 80% भार कारक से नीचे विद्युत प्रदाय हेतु प्रभावी दर की गणना निम्नानुसार की जाएगीः–

$$\text{प्रभावी दर (रू.)} = \frac{\text{(निश्चित प्रभार+ऊर्जा प्रभार)X प्रतिशत भार कारक}}{80\%}$$

तथापि, न्यूनतम प्रभावी प्रभार आयोग द्वारा यथा निर्धारित ऊर्जा प्रभार होगा।

11.5 मासिक अनुसूचित ऊर्जा के 110% से ऊपर, आधिक्य अन्तःक्षेपण के लिए दरें, ऊर्जा प्रभार रहेगी।

11.6 स्टार्टअप पॉवर के लिए मांग प्रभार, वितरण अनुज्ञप्तिधारी के लिए आयोग द्वारा जारी समुचित टैरिफ आदेश के माध्यम से शासित होंगे।

2. विनियम क्रमांक 68/छ.ग.रा.वि.नि.आ./2016 द्वारा दिनांक 21.03.2016 से प्रतिस्थापित
3. विनियम क्रमांक 69/छ.ग.रा.वि.नि.आ./2016 द्वारा दिनांक 23.05.2016 से प्रतिस्थापित

11.7 **ऊर्जा संजालीकरण (Netting of Energy) :—** ऐसे नवीकरणीय विद्युत उत्पादन संयंत्रों हेतु, जो वितरण अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत प्रदाय कर रहे हैं, ऊर्जा संजालीकरण की अनुमति, ग्रिड से स्टार्टअप ऊर्जा के आयात के विरूद्ध, मासिक आधार पर दी जाएगी।

11.8 **विद्युत बैंकिंगः** नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु विद्युत की बैंकिंग, ऐसे संयंत्रों के लिए तीन माह हेतु अनुमत हो सकेगी जिन्होंने वितरण अनुज्ञप्तिधारी से संपूर्ण उत्पादित विद्युत के वितरण अनुज्ञप्तिधारी को प्रदाय हेतु अनुबंध नहीं किया है;

परन्तु नवीकरणीय विद्युत उत्पादन संयंत्रों द्वारा उस बिन्दु पर ABT मीटर प्रतिस्थापित किए जाएंगे जहां अनुज्ञप्तिधारी विद्युत प्राप्त कर रहा है;

परन्तु वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत विमुक्त किये जाते समय प्रतिमाह बैंकिंग प्रभार के रूप में, वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत का 2% समायोजित किया जाएगा;

परन्तु यह और भी कि व्यस्ततम समय (Peak hours) के दौरान जब उत्पादनकर्ता द्वारा विद्युत की निकासी की जाती है, जो टैरिफ आदेश में यथा परिभाषित व्यस्ततम समय से इतर जमा की जाती है, तो उसे अपनी विद्युत की लागत और उस वित्तीय वर्ष में वार्षिक औसत विद्युत क्रय लागत के मध्य अंतर का भुगतान, अनुज्ञप्तिधारी को क्षतिपूर्ति के तौर पर करना चाहिए।]2

अध्याय–2 : वित्तीय सिद्धांत

12. पंजीगत लागतः–

12.1 बाद के तकनीक विशेष हेतु अध्यायों में यथा विनिर्दिष्ट पूंजीगत लागत के मानदण्डों में समस्त केन्द्रीय कार्यो का समावेश होगा जिसमें संयंत्र और मशीन, सिविल कार्य प्रतिष्ठापन और संचालन, वित्त पोषण लागत, प्रारंभिक और संचालन पूर्व के व्यय, निर्माण के दौरान ब्याज, और अंतर्संयोजन बिन्दु तक इवेक्यूएशन अधोसंरचना सम्मिलित है।
परन्तु, परियोजना विशेष के लिए टैरिफ निर्धारण हेतु उत्पादन कंपनी पूंजीगत लागत का खण्डवार विवरण अपनी याचिका के साथ विनियम 8 के अधीन विनिर्दिष्ट रीति से करेगी।

13. ऋण–साम्यापूंजी अनुपात (**Debt Equity Ratio**)–

13.1 मूल टैरिफ के स्वतः निर्धारण के लिए ऋण साम्यापूंजी अनुपात 70:30 विचारणीय होगा।

13.2 परियोजना विशेष टैरिफ के लिए, यदि वस्तुतः लगायी गई साम्या पूंजीगत लागत की 30 प्रतिशत से अधिक है तो 30 प्रतिशत से अधिक होनी वाली साम्या को प्रतिमानकीय ऋण के रूप में माना जाएगा ।

परन्तु, जहॉ वास्तव में लगायी गई पूंजी, पूंजीगत लागत की 30 प्रतिशत से कम है वहॉ वास्तिक साम्या को टैरिफ के निर्धारण हेतु विचार में लिया जाएगा;
परन्तु, यह और भी कि विदेशी मुद्रा में निवेशित ऋण/साम्या को प्रत्येक निवेश की दिनांक पर भारतीय रूपयों में वे नामांकित/पदांकित किया जाएगा।

14. ऋण तथा वित्त प्रभार–

14.1 टैरिफ के निर्धारण के उद्देश्य से 12 वर्ष की ऋण अवधि विचार में ली जाएगी।

14.2 उपर दर्शित रीति से प्राप्त ऋणों को ऋण पर ब्याज की गणना हेतु सकल प्रतिमानकीय ऋण माना जाएगा। प्रत्येक वर्ष की 1ली अप्रैल को बकाया प्रतिमानकीय ऋण निकालने के लिए सकल प्रतिमानकीय ऋण में से पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च तक संचयी भुगतान को घटा दिया जाएगा।

2. विनियम क्रमांक 68/छ.ग.रा.वि.नि.आ./2016 द्वारा दिनांक 21.03.2016 से प्रतिस्थापित

टैरिफ की संगणना के उद्देश्य से प्रतिमानकीय ब्याज दर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हेतु टैरिफ निर्धारण के पूर्ववर्ती वर्ष की 1ली अक्टूबर को प्रचलित औसत आधार दर (उधार दर)+300 आधार बिन्दु (basis points)के रूप में विचारणीय होगी।

उत्पादन कंपनी द्वारा ली गई किसी आस्थगन अवधि के होते हुए भी ऋण का पुनर्भुगतान परियोजना के वाणिज्यिक संचालन के पहले वर्ष से विचार में लिया जाएगा और अनुमत किए गए वार्षिक मूल्यह्रास के बराबर होगा।

परन्तु, राज्य डिस्कॉम के साथ विद्युत क्रय अनुबंध रखने वाले मौजूदा बायोमास संयंत्र, जिनके लिए आयोग ने परियोजना विशेष टैरिफ हेतु विकल्प के लिए पूर्वता टैरिफ निर्धारित किया है। उनके लिए सुसंगत आदेशों में विनिर्दिष्ट ऋण और वित्त प्रभार विचार में लिए जाएंगे।

15. **मूल्यह्रास** (Depreciation)–

15.1 मूल्यह्रास के उद्देश्य से मूल्य आधार, आयोग द्वारा अनुमत की गई परिसंपत्ति की पूंजीगत लागत होगी। परिसंपत्तियों का अवशेष मूल्य 10 प्रतिशत माना जाएगा तथा मूल्यह्रास, परिसंपत्तियों की पूंजीलागत के अधिकतम 90 प्रतिशत तक अनुमत होगा।

15.2 टैरिफ अवधि के प्रथम 12 वर्षो के लिए मूल्यह्रास की दर 5.83 प्रतिशत वार्षिक की रहेगी और शेष मूल्यह्रास को 13वें वर्ष के बाद से परियोजना की शेष उपयोगी जीवन अवधि **के** दौरान 'सीधी रेखा' विधि से विस्तारित किया जाएगा।

15.3 मूल्यह्रास वाणिज्यिक संचालन के पहले वर्ष से प्रभारणीय होगा।
परन्तु, परिसंपत्ति के वर्ष के किसी भाग के दौरान वाणिज्यिक संचालन के प्रकरण में मूल्यह्रास अनुपातिक (प्रोरेटा) आधार पर प्रभारित होगा।

16. **साम्या पर प्रतिफल** (Return on equity)–

16.1 साम्या के लिए मूल्य आधार पूंजी लागत का 30 प्रतिशत अथवा वास्ताविक साम्या (परियोजना विशेष के टैरिफ निर्धारण की दशा में) विनियम, 13 के अधीन निर्धारित किए अनुसार होगा।

16.2 साम्या पर प्रतिमानकीय प्रतिफल निम्नानुसार होगाः–

i.	प्रथम 10 वर्षो के लिए	20 प्रतिशत प्रतिवर्ष
ii.	11वे वर्ष से आगे	24 प्रतिशत प्रतिवर्ष

परन्तु, राज्य डिस्कॉम के साथ विद्युत क्रय अनुबंध रखने वाले मौजूदा बायोमास संयंत्र, जिनके लिए आयोग ने परियोजना विशेष टैरिफ हेतु विकल्प के लिए पूर्वता टैरिफ निर्धारित किया है अथवा परियोजना विशेष टैरिफ के लिए हितग्राही/अनुज्ञप्तिधारी का विकल्प दिया है, वहॉ साम्या पर प्रतिफल, सुसंगत आदेशों सह–पठित इन विनियमों के विनियम 3 में विनिर्दिष्ट प्रावधानों में दर्शाएं अनुसार विचार में लिया जाएगा।

17. **कार्यशील पूंजी पर ब्याज** –

17.1 पवन ऊर्जा परियोजनाओं, लघु जल विद्युत, सौर पी.व्ही. और सौर तापीय विद्युत परियोजनाओं के संबंध में कार्यशील पूंजी आवश्यकता की संगणना निम्नानुसार की जाएगीः –

i. एक माह के लिए संचालन और संधारण व्यय;

ii. प्रतिमानकीय सी.यू.एफ. पर परिगणित विद्युत विक्रय के दो माह के विद्युत प्रभारों के समतुल्य प्राप्तव्य;

iii. संचालन और संधारण व्यय के 15 प्रतिशत की दर से संधारण अतिरिक्त (स्पेयर).

17.2 बायोमास ऊर्जा परियोजनाओं, और गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन परियोजनाओं के संबंध में कार्यशील पूंजी की संगणना निम्नानुसार की जाएगीः –

i. प्रतिमानकीय संयंत्र भार कारक के समतुल्य चार माह के लिए ईंधन की लागत;

ii. एक माह के लिए संचालन और संधारण व्यय;

iii. लक्षित संयंत्र भार कारक पर परिगणित विद्युत विक्रय से दो माह के समतुल्य स्थिर और परिवर्तनीय प्रभार–प्राप्तव्य;

iv. संचालन और संधारण व्यय के 15 प्रतिशत की दर से संधारण अतिरिक्त (स्पेयर).

17.3 कार्यशील पूंजी पर ब्याज, टैरिफ निर्धारण वर्ष के पूर्ववर्ती वर्ष की 1ली अक्टूबर को प्रचलित भारतीय स्टेट बैंक की आधार दर (उधार दर)+350 आधार बिन्दु (basis points) के समतुल्य ब्याज दर होगी।

18. संचालन और संधारण व्यय–

18.1 संचालन और संधारण व्ययों में मरम्मत और रख–रखाव, कर्मचारियों पर व्यय सहित स्थापना, और प्रशासनिक तथा बीमा सहित सामान्य व्यय सम्मिलित होंगे।

18.2 संचालन और संधारण व्ययों का निर्धारण टैरिफ अवधि के लिए आयोग द्वारा इन विनियमों के बाद नियंत्रण अवधि के पहले वर्ष हेतु विनिर्दिष्ट प्रतिमानकीय संचालन और संधारण व्ययों के आधार पर होगा।

18.3 इन विनियमों के अधीन नियंत्रण अवधि (अर्थात् वित्तीय वर्ष 2012–13) के पहले वर्ष के दौरान अनुमत प्रतिमानकीय संचालन और संधारण व्यय टैरिफ अवधि के लिए 5.72 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से परिवर्धित किया जाएगा।

19. छूट–

19.1 साख पत्र के माध्यम से उत्पादन कंपनी द्वारा देयकों के भुगतान पर 2 प्रतिशत की छूट अनुमत रहेगी।

19.2 जहॉ उत्पादन कंपनी द्वारा देयक प्रस्तुतिकरण के एक माह के भीतर भुगतान साखपत्र क अलावा किसी माध्यम से किए जाते हैं, वहॉ 1 प्रतिशत की छूट अनुमत रहेगी।

20. विलंबित भुगतान प्रभार–

20.1 इन विनियमों के अधीन भुगतान योग्या प्रभारों के किसी देयक का विलंब से भुगतान करने की दशा में, यदि बिलिंग दिनांक से 60 दिवस की अवधि से अधिक का विलंब किया जाता है तो उत्पादन कंपनी द्वारा 1.25 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से विलंबित भुगतान प्रभार वसूलनीय होगा।

21. संचालन के प्रतिमान और मानदण्ड का सीलिंग प्रतिमान होनाः–

21.1 इन विनियमों में विनिर्दिष्ट किए गए प्रतिमान और मानदण्ड सीलिंग मानदण्ड हैं और किसी परियोजना विकासकर्ता अथवा हितग्राही को सुधरे हुए संचालन प्रतिमानों से सहमत होने के लिए निवारित् नहीं करेंगे और जहॉ सुधरे हुए प्रतिमानों पर सहमति होगई है वहॉ ऐसे सुधरे हुए प्रतिमान/मानदण्ड परियोजना विशेष टैरिफ के निर्धारण हेतु प्रयोज्य होंगे।

22. केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा सबसीडी अथवा प्रोत्साहन–

22.1 आयोग द्वारा इन विनियमों के अधीन परियोजना विशेष के टैरिफ का निर्धारण करते समय उत्पादन कंपनी द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा के विद्युत संयंत्रों के लिए ली जा रही केन्द्र अथवा राज्य सरकार की किसी पूंजीगत सबसीडी/प्रोत्साहन/अनुदान को विचार में लिया जाएगा;
परन्तु, जहॉ केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार की किसी अधिसूचना में विशिष्टताः कोई उत्पादन आधारित प्रोत्साहन इससे बढ़कर प्रावधानित है, वहॉ उसे टैरिफ का निर्धारण करते समय कारक नहीं बनाया जाएगा।

23. उपकर, शुल्क और जलप्रभार/वैधानिक प्रभार–

23.1 इन विनियमों के अधीन निर्धारित टैरिफ में समुचित सरकार द्वारा यथाप्रभारित उत्पादन, सहायक खपत और विद्युत विक्रय पर उपकर और शुल्क सम्मिलित नहीं होंगे।

परन्तु, समुचित सरकार द्वारा प्रभारित उपकर और शुल्क वास्तव में वहन किए गए आधार पर पासथ्रु के रूप में अनुमत होंगे।

लघु जल विद्युत संयंत्र के प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वसूल किए गए जल प्रभारों को टैरिफ में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इनका भुगतान पृथक से किया जाना है और उन्हें वास्तविक वहन किए गए आधार पर पासथ्रु (pass through) कर दिया जाएगा।

अध्याय–3 : पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए तकनीकी विशेष प्राचल (पैरामीटर)

24. पूंजीलागत–

24.1 पवन ऊर्जा परियोजना के लिए पूंजीलागत में इसके सहायक उपस्करों सहित विन्ड टारबाईन जनरेटर, भूमि का मूल्य, स्थल विकास प्रभार और अन्य सिविल कार्य, परिवहन प्रभार, अंतर्संयोजन बिन्दु तक निकासी लागत, वित्तीय प्रभार और आई.डी.सी. सम्मिलित होंगे।

24.2 पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए पूंजी लागत रूपये 575 लाख/मेगावॉट (नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष के दौरान वित्तीय वर्ष 2012–13 में) होगी और विनियम 25 के अधीन दर्शित अनुसार प्रत्येक बाद के वर्ष में प्रारंभ होने वाली परियोजनाओं के लिए पुनरीक्षित की जाएगी।

25. पूंजी लागत सूचकांकन की प्रणाली–

25.1 टैरिफ अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए पवन ऊर्जा विद्युत परियेाजनाओं के प्रकरण में सूचकांकित पूंजीलागत पर विचारण, केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ विनियमों के अधीन निर्दिष्ट सूचकांकन प्रणाली के अनुसरण में पवन ऊर्जा परियोजनाओं हेतु, ऐसी सूचकांकित पूंजीलागत जारी होने पर किया जाएगा।

26. क्षमता उपयोगिता कारक–

26.1 इस नियंत्रण अवधि हेतु क्षमता उपयोगिता कारक निम्नानुसार रहेंगेः–

वार्षिक औसत पवन विद्युत घनत्व (डब्लयू/एम2)	क्षमता उपयोगिता कारक
200 तक	20%
201–250 तक	22%
251–300 तक	25%
301–400 तक	30%
400 से उपर	32%

26.2 उपर्युक्त विनियम 26.1 में विनिर्दिष्ट वार्षिक औसत पवन विद्युत घनत्व 80 मीटर की हब ऊंचाई पर नापा जाएगा।

26.3 पवन ऊर्जा परियोजना के विशिष्ट क्षेत्र श्रेणी में वर्गीकरण प्रयोजन के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के दिशा–निर्देशानुसार पवन मास्ट या तो सी–वेट द्वारा लगाया जाएगा अथवा किसी निजी विकाकर्ता द्वारा लगाया जाएगा और उसका वैधिकरण सी–वेट द्वारा एकसार भू–भाग के लिए मास्ट–प्वांट से सभी दिशाओं में सामान्यतः 10 किलो मीटर तक विस्तारित किया जाएगा और जटिल भू–भाग में स्थल की जटिलता को देखते हुए समुचित दूरी तक सीमित रखा जाएगा। इस प्रकार सी–वेट द्वारा वैधीकरण के आधार पर राज्य संपर्क अभिकरण को प्रस्तावित विन्ड फार्म संकुल के जोन को प्रमाणित करना चाहिए।

27. संचालन और संधारण व्यय–

27.1 प्रतिमानकीय

संचालन और संधारण व्यय, नियंत्रण अवधि (अर्थात् वित्तयी वर्ष 2012–13) के प्रथम वर्ष हेतु रूपये 9 लाख प्रति मेगावॉट होगा।

27.2 इन विनियमों के अधीन अनुमत प्रतिमानकीय संचालन और संधारण व्यय टैरिफ की संगणना के लिए टैरिफ अवधि में 5.72 प्रतिशत वार्षिक की दर से घटाएं जाएंगे।

अध्याय–4 : लघु जल विद्युत परियोजनाओं के लिए तकनीकी विशिष्ट प्राचल

28. पूंजीलागत–

28.1 लघु जल विद्युत परियोजनाओं के लिए नियंत्रण अवधि (अर्थात् वर्ष 2012–13)के प्रथम वर्ष के दौरान प्रतिमानकीय पूंजीलागत निम्नानुसार होगीः

परियोजना का आकार	पूंजीलागत (रूपये लाख प्रतिमेगावॉट)
5 मेगावॉट से कम	600
5 मेगावॉट से 25 मेगावॉट	550

परियोजना विशेष के लिए पूंजीगत लागत की अनुमति उपर्युक्त तालिका में उल्लिखित अधिकतम सीमा तक दी जा सकेगी। इसमें विद्युत की निकासी के लिए पारेषण लाईनों को को बिछ़ाने की लागत भी सम्मिलित है।

परन्तु, परियोजना विशेष टैरिफ की दशा में यदि पारेषण लाईन 10 किलोमीटर से अधिक लंबी हो जाती है तो आयोग द्वारा परिपक्व जॉच के अंतर्गत रहते हुए पारेषण लाईने बिछ़ाने की अतिरिक्त लागत हेतु अनुमति दी जा सकती है।

परन्तु यह भी कि परियोजना विशेष टैरिफ की दशा में राज्य की भौगोलिक स्थिति पर विचार करते हुए, और भौगोलिक अनापेक्षाओं/अनुमान न लगाई जा सकने वाली कठिनाईयों तथा परियोजना को क्रियान्वित करते समय सामने आयी कठिनाईयों को देखते हुए परियोजना लागत अतिरिक्त रूप से, रूपये 25 लाख प्रति मेगावॉट की अधिकतम सीमा में रहते हुए अनुमत की जा सकेगी। यह नियम नहीं अपितु अपवाद स्वरूप होगा ।

28.2 परवर्ती वर्षो के लिए प्रारंभ होने वाली परियोजनाओं हेतु लागत पूंजी का पुनरीक्षण प्रत्येक परवर्ती वर्ष में विनियम 29 के अधीन किया जाएगा।

28.3 1ली अप्रैल, 2012 के पूर्व वाणिज्यिक संचालन की दिनांक प्राप्त करने वाले लघु जल विद्युत संयंत्रों की लागत पूंजी आयोग के संबंधित अनुमोदित आदेशों से शासित होगी।

[1][परन्तु, मौजूदा लघु जल विद्युत संयंत्र जिन्होंने 1 ली अप्रैल, 2012 से पूर्व वाणिज्यिक संचालन की दिनांक प्राप्त कर ली है और उस परियोजना के उपयोगी जीवनकाल हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी से दीर्घावधि विद्युत क्रय अनुबंध कर लिया है, जिसके लिए आयोग ने टैरिफ का निर्धारण कर दिया है, पूंजीलागत आयोग के सुसंगत आदेशों में विनिर्दिष्ट किए अनुसार विचार में ली जाएगी और लागत पूंजी में से पूंजी अनुदान/सबसीडी को समायोजित कर लिया जाएगा। अन्य वित्तीय मानदण्ड इन विनियमों में विनिर्दिष्ट किए अनुसार रहेंगे।][1]

29. लागत पूंजी सूचकांकन प्रणाली–

29.1 लघु जल विद्युत परियोजनाओं के प्रकरण में टैरिफ अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए सूचकांकित पूंजी लागत पर विचार, केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ विनियमों के अधीन अभिनिश्चित सूचकांकन प्रणाली के अनुरूप केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा लघु जल विद्युत परियोजनाओं हेतु ऐसी सूचकांकित पूंजीलागत जारी करने के उपरांत किया जाएगा।

30. क्षमता उपयोगिता कारक–

30.1 लघु जल विद्युत परियोजनाओं के लिए क्षमता उपयोग कारक न्यूनतम 30 प्रतिशत अथवा परियोजना विशेष के अनुसार, जो भी उच्चतर हो, रहेगा।

31. सहायक खपत–

31.1 लघु जल विद्युत परियोजनाओं के लिए प्रतिमानकीय सहायक खपत 1.5 प्रतिशत होगी।

32. संचालन और संधारण व्यय–

32.1 नियंत्रण अवधि (अर्थात् वित्तीय वर्ष 2012–13) के लिए प्रतिमानकीय संचालन और संधारण व्यय निम्नानुसार होंगे–

परियोजना का आकार	संचालन और संधारण व्यय (रूपये लाख प्रतिमेगावॉट)
5 मेगावॉट से कम	20.00
5 मेगावॉट से 25 मेगावॉट	14.00

32.2 इन विनियमों के अधीन अनुमत प्रतिमानकीय संचालन और संधारण व्यय का परिवर्धन 5.72 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से टैरिफ निर्धारण के उद्देश्य से टैरिफ अवधि हेतु किया जाएगा।

33. सूक्ष्म/अतिसूक्ष्म (मिनी/माइक्रो) परियोजनाएं–

33.1 सूक्ष्म/अतिसूक्ष्म (मिनी/माइक्रो) जल विद्युत परियोजनाओं हेतु टैरिफ, रूपये 0.50/किलावॉट अथवा अन्य उच्चतर राशि जिसे आयोग लघु जल विद्युत परियोजनाओं हेतु समय–समय पर मूल प्रयोज्य टैरिफ के रूप में अभिनिश्चित करे, से अधिक होगा। तथापि, यह ऐसे विकासकर्ताओं/अनुज्ञप्तिधारियों के लिए प्रयोज्य नहीं होगा जो परियोजना विशेष के टैरिफ का विकल्प देते हैं और नहर आधारित परियोजनाओं पर भी प्रयोज्य नहीं होगा।

1. विनियम क्रमांक 57/छ.ग.रा.वि.नि.आ./2013 द्वारा दिनांक 16.01.2014 से अन्तःस्थापित

अध्याय–5 : रेनकिन साईकल तकनीक पर आधारित बायोमास विद्युत परियोजनाओं के लिए तकनीकी विशेष प्राचल

34. तकनीकी पहलू–

34.1 यहॉ विनिर्दिष्ट टैरिफ निर्धारण के प्रतिमान, रेनकिन साईकल तकनीक पर आधारित जल प्रशीतित संघनित्र का उपयोग करने वाली बायोमास विद्युत परियोजनाओं के लिए हैं।

35. पूंजीलागत और पूंजीलागत सूचकांकन प्रणाली–

35.1 बायोमास विद्युत परियोजनाओं के लिए प्रतिमानक पूंजीलागत रूपये 445 लाख प्रति मेगावॉट (वित्तीय वर्ष 2012–13, नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष के दौरान) होगी और विनियम 35.2 में दर्शाए अनुसार सूचकांकन सूत्र से संबंद्ध रहेगी।

35.2 बायोमास विद्युत परियोजनाओं के प्रकरण में टैरिफ अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए सूचकांकित पूंजी लागत पर विचार, केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ विनियमों के अधीन अभिनिश्चित सूचकांकन प्रणाली के अनुरूप केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा बायोमास विद्युत परियोजनाओं हेतु ऐसी सूचकांकित पूंजीलागत जारी करने के उपरांत किया जाएगा।

परन्तु, राज्य डिस्कॉम के साथ विद्युत क्रय अनुबंध रखने वाले मौजूदा बायोमास संयंत्र, जिनके लिए आयोग ने परियोजना विशेष टैरिफ हेतु विकल्प के लिए पूर्वता टैरिफ निर्धारित किया है। उनके लिए सुसंगत आदेशों में विनिर्दिष्ट लागत पूंजी विचार में लिए जाएंगे, और पूंजीलागत में पूंजी सबसीडी या अन्य कोई सबसीडी समायोजित कर ली जाएगी।

36. क्षमता उपयोगिता कारक–

36.1 टैरिफ के स्थित प्रभार घटक का निर्धारण करने के लिए थ्रेस होल्ड संयंत्र भार कारक 80 प्रतिशत होगा।

37. सहायक खपत–

37.1 टैरिफ के निर्धारण के लिए सहायक विद्युत खपत 10 प्रतिशत विचार में ली जाएगी।

38. स्टेशन ऊष्मा दर–

38.1 बायोमास विद्युत परियोजनाओं के लिए स्टेशन ताप दर 4000 किलो कैलोरी प्रति किलावॉट घंटा होगी।

39. संचालन और संधारण व्यय–

39.1 नियंत्रण अवधि के पहले वर्ष हेतु (अर्थात वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए) प्रतिमानक संचालन और संधारण व्यय रूपये 24 लाख प्रतिमेगावॉट होंगे।

39.2 विनियम 39.1 के अधीन टैरिफ अवधि के प्रारंभ होने पर अनुमत प्रतिमानकीय संचालन और संधारण व्ययों को नियंत्रण अवधि के परवर्ती वर्षो के लिए 5.72 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से परिवर्धित किया जाएगा।

40. ईंधन–

40.1 बायोमाास विद्युत संयंत्रों का रूपांकन इस प्रकार किया जाएगा जिससे वे बायोमास विद्युत परियोजना के क्षेत्र के भीतर उपलब्ध विभिन्न प्रकार के गैर जीवाश्म ईंधनों, जैसे फसल के

अवशेष, कृषि आद्यौगिक अवशेष, वन अवशेष और अन्य नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा यथा अनुमोदित बायोमास ईंधनों का उपयोग कर सकें।

40.2 बायोमास विद्युत उत्पादन कंपनियां, संबंधित परियोजना की ईंधन आवश्यकताओं की समुचित पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ईंधन प्रबंधन योजना लागू करेंगें।

41. जीवाश्म ईंधन–ईंधन मिश्रण का उपयोग–

41.1 जीवाश्म ईंधन का उपयोग वार्षिक आधार पर कुल ईंधन खपत की किलो कैलोरी आधार पर सुसंगत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के दिशा–निर्देशों के अनुरूप होगा, जो वर्तमान में 15 प्रतिशत है।

42. जीवाश्म ईंधन के उपयोग हेतु निगरानी प्रणाली–

42.1 परियोजना विकासकर्ता द्वारा एक मासिक ईंधन प्राप्ति विवरण और मासिक ईंधन उपयोग विवरण, सनदी लेखापाल (Chartered Accountant) द्वारा विहित रूप से प्रमाणित करा कर हितग्राही को उपलब्ध कराया जाएगा। जिसमें, जिसके साथ विद्युत क्रय अनुबंध किया जा चुका है उसके वांछित समाधान के लिए आवश्यक संपूर्ण ब्यौरें मासिक विद्युत देयक के साथ प्रत्येक माह उपलब्ध कराए जाएंगे (इसकी एक प्रति समुचित अभिकरण अर्थात् क्रेडा को अंकित की जाएगी, जिसे आयोग द्वारा जीवाश्म और गैर जीवाश्म ईंधन खपत की निगरानी के उद्देश्य से नियुक्त गया है)। इस विवरण में निम्नांकित ब्यौरे सम्मिलित किए जाएगें, जैसे कि–

i. प्रत्येक प्रकार की ईंधन के लिए प्रांरभिक ईंधन भंडार की मात्रा (टन में);

ii. माह के दौरान प्रत्येक प्रकार की ईंधन हेतु विद्युत संयंत्र के स्थल पर प्राप्त ईंधन की मात्रा (टन में);

iii. विद्युत उत्पादन के उद्देश्य से उस माह के दौरान प्रत्येक ईंधन प्रकार (बायोमास ईंधन और जीवाश्म ईंधन) के ईंधन की खपत–मात्रा (टन में);

iv. माह के अंत में विद्युत संयंत्र के स्थल पर उपलब्ध प्रत्येक ईंधन प्रकार (बायोमास ईंधन और जीवाश्म ईंधन) के ईंधन की शेष–भंडार मात्रा (टन में);

v. वित्तीय वर्ष के दौरान उस माह के अंत तक प्राप्त की गई प्रत्येक ईंधन प्रकार (बायोमास ईंधन और जीवाश्म ईंधन) के ईंधन की संचयी–मात्रा (टन में);

vi. वित्तीय वर्ष के दौरान उस माह के अंत तक खपत की गई प्रत्येक ईंधन प्रकार (बायोमास ईंधन और जीवाश्म ईंधन) के ईंधन की संचयी–मात्रा (टन में);

vii. माह के दौरान वास्तविक (सकल और शुद्ध, विद्युत उत्पादन) लाख युनिट में व्यक्त किया गया;

viii. वित्तीय वर्ष के दौरान उस माह के अंत तक किया गया संचयी वास्तविक (सकल और शुद्ध, विद्युत उत्पादन) लाख युनिट में व्यक्त किया गया।

42.2 उस दषा में जब पदांकित अभिकरण संतुष्ट हो जाता है, के उत्पादनकर्ता उस स्थिति में पहुंच गया है जहॉ वार्षिक आधार पर (वित्तीय वर्ष) ईंधन मिश्रण मानदण्ड का अनुपालन संभव नहीं है, वह संबंधित हितग्राहियों और उत्पादनकर्ताओं को ऐसे निष्कर्षो के ब्यौरे सुचित करेगा। तदउपरांत हितग्राही उत्पादनकर्ताओं को कारण दर्षाते हुए सूचना जारी करेगा और पूर्वताकृत टैरिफ का भुगतान करने के स्थान पर इस मुद्दे पर विनियम 42.3 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करेगा। दोनों पक्षों के बीच विद्युत क्रय अनुबंध में नवीन और नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय द्वारा विहित अनुसार ईंधन मिश्र राषन के अनुपालन हेतु आयोग के विहित अनुमोदन से समुचित तरीके का समावेष कर लिया जाएगा।

42.3 जीवाष्म ईंधन के उपयोगी की शर्त का परियोजना विकासकर्ता द्वारा (जिसमें 1ली अप्रैल, 2012 से पूर्व और उसके बाद वाणिज्यिक संचालन की दिनांक प्राप्त कर ली है) अनुपालन न करने से ऐसी बायोमास विद्युत परियोजना इन विनियमों में निर्धारित किए अनुसार चूक के वर्ष में जब उस वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसी चूक हुई है, निर्धारित पूर्वताकृत टैरिफ का लाभ उठाने के लिए अनर्ह हो जाएगी। तथापि, ऐसी चूककर्ता बायोमास विद्युत परियेाजना, चूक की अवधि के दौरान भी संबंधित वितरण अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत का विक्रय जारी रखेगी। वितरण अनुज्ञप्तिधारी को प्रदाय की दर का भरांकन औसत पूल किए गए मूल्य पर होगा, जिस पर वितरण अनुज्ञप्तिधारी नये विद्युत का क्रय किया है और उसमें यदि कोई हो तो (बायोमास संयंत्र के चूक वाले वर्ष में) स्वतः उत्पादन की लागत सम्मिलित रहेगी। परन्तु, चूक के संपूर्ण वर्ष के दौरान यथास्थिति उन्हे छोड़ दिया जाएगा, जो नवीकरणीय उर्जा स्त्रोतों पर आधारित हैं और ऐसी विद्युत परियोजना हेतु आगमित अतिरिक्त भुगतान का समायोजन आगे के देयकों में छः बराबर किष्तों में किया जाएगा।

43. निगरानी अभिकरण द्वारा सांख्यिकीय और विवरणिका मांगने की शक्ति

43.1 छत्तीसगढ़ नवीकरणीय उर्जा विकास प्राधिकरण (क्रेडा) बायोमास परियोजनाओं के ईंधन मिश्र अनुपात की निगरानी करने हेतु दायित्वाधीन होगा;

43.2 क्रेडा द्वारा तकनीकी और वाणिज्यिक विवरणों सहित (जिसमें वाणिज्यिक संचालन दिनांक का वर्ष, विहित ईंधन मिश्र अनुपात, ईंधन का स्त्रोत आदि सम्मिलित हैं) राज्य में बायोमास परियोजनाओं की जानकारी का संधारण भी किया जाएगा और ऐसी जानकारी अपनी वेबसाईट पर त्रैमासिक रूप से अद्यतन करते हुए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करा दी जाएगी।

43.3 परियोजना विकासकर्ता द्वारा विनियम 42 के अधीन वांछित अनुसार अनुसूची प्रबंध 3.1 और 3.2 में विनिर्दिष्ट प्रपत्र में क्रेडा को जानकारी प्रस्तुत की जाएगी।

43.4 क्रेडा, विहित रूप से नोटरीकृत शपथ पत्र पर प्रत्येक बायोमास विद्युत संयंत्र के लिए (जिसने 1 ली अप्रैल, 2012 को या उससे पूर्व वाणिज्यिक संचालन का दिनांक प्राप्त कर लिया है) पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान बायोमास आधारित संयंत्र द्वारा जीवाष्म ईंधन और बायोमास ईंधन के उपयोग के संबंध में, एक वार्षिक प्रतिवेदन उस संपूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के अंत तक आयोग को प्रस्तुत करेगा।

43.5 क्रेडा, उसी वार्षिक प्रतिवेदन (विनियम 43.4 में यथा उल्लिखित) को, जो प्रत्येक बायोमास विद्युत संयंत्र के लिए (जिसने 1 ली अप्रैल, 2012 को या उससे पूर्व वाणिज्यिक संचालन का दिनांक प्राप्त कर लिया है) पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान बायोमास आधारित संयंत्र द्वारा जीवाष्म ईंधन और बायोमास ईंधन के उपयोग के संबंध में है, संपूर्ण वित्तीय वर्ष हेतु हितग्राही को भी प्रतिवर्ष अप्रैल के अंत तक प्रस्तुत करेगा। किसी उत्पादन संयंत्र द्वारा जीवाष्म ईंधन के उपयोग के संबंध में पूर्व शर्त का अनुपालन और किसी वित्तीय वर्ष के दौरान विनिर्दिट प्रतिषत से अधिक मात्रा में ऐसे ईंधन का उपयोग उस यंत्र को किसी अन्य ताप विद्युत उत्पादक के समकक्ष बना देगा और ऐसे संयंत्रों को दिए गए समस्त लाभ जिनमें टैरिफ भी सम्मिलित है, जो नवीकरणीय उर्जा स्त्रोत हेतु दिए जाते हैं, वापस लिए समझे जाएंगे। हितग्राही द्वारा ऐसे उत्पादकों को जीवाष्म ईंधन के उपयोग के संबंध में अनुपालन हेतु नोटिस (सूचना) जारी किया जाएगा और पूर्वताकृत टैरिफ के भुगतान के बजाय इस मुद्दे पर विनियम 42.3 में दिए गए अभिव्यक्त प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

44. कैलोरी मूल्य–

44.1 [2][MNRE द्वारा विनिर्दिष्ट ईंधन मिश्र अनुपात 85:15 (बायोमासःकोयला) वाली बायोमास विद्युत परियोजनाओं के लिए टैरिफ निर्धारण के प्रयोजन से बायोमास ईंधन का औसत कैलोरी मूल्य,

3300 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम और 75:25 (बायोमासःकोयला) वाली बायोमास विद्युत परियोजनाओं के लिए 3338 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होगा।

45. ईंधन लागत–

45.1 बायोमास ईंधन का मूल्य नियंत्रण अवधि (अर्थात्, वित्तीय वर्ष 2012–13) के प्रथम वर्ष के दौरान रू. 2476/– प्रति मीटरिक टन होगा और तदुपरांत विनियम 45.2 और 45.3 के अधीन यथा निर्दिष्ट सूचकांक प्रणाली से संबद्ध रहेगा।

तथापि, नियंत्रण अवधि के पांचवे वर्ष (अर्थात् वित्तीय वर्ष 2016–17) हेतु बायोमास ईंधन का मूल्य स्वतंत्र अध्ययन के माध्यम से निर्धारित किया जाएगा। यह स्वतंत्र अध्ययन एक 6 सदस्ययी राज्य स्तर की समिति द्वारा कराया जाएगा, जिसमें आयोग द्वारा नाम निर्देशित निम्नांकित सदस्य होंगेः–

(क) राज्य सरकार का प्रतिनिधि–अध्यक्ष

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित का प्रतिनिधि–सदस्य

(ग) राज्य संपर्क अभिकरण (क्रेडा) का प्रतिनिधि–सदस्य संयोजक

(घ) राज्य वितरण कम्पनी (छ.रा.वि.वितरण कं.) का प्रतिनिधि–सदस्य

(ड.) बायोमास विद्युत उत्पादक एसोसिएशन का प्रतिनिधि–सदस्य

(च) उपभोक्ता प्रतिनिधि–सदस्य

अध्ययन के उपरांत समिति बायोमास ईंधन का मूल्य दर्शाएगी और दो माह के भीतर प्रयोज्य बायोमास ईंधन मूल्य प्रस्तुत कर देगी।][2]

45.2 (वर्तमान और नवीन) बायोमास विद्युत परियोजनाओं के प्रकरण में, इस विनियम में संचालन के प्रत्येक वर्ष के लिए ईंधन मूल्यों के समायोजन हेतु विनिर्दिष्ट सूचकांकन प्रणाली, टैरिफ के प्रयोज्य परिवर्तनीय प्रभार घटक के निर्धारण हेतु प्रयोज्य होगी।

45.3 नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु बायोमास विद्युत परियोजनाओं के प्रकरण में सूचकांकित बायोमास ईंधन मूल्य पर विचार, ऐसे सूचकांकित बायोमास ईंधन मूल्य के अधिसूचित होने के उपरांत किया जाएगा, जो केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग के नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ विनियमों द्वारा विनिश्चित सूचकांकन प्रणाली के अनुरूप केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा राज्य में बायोमास विद्युत परियोजनाओं हेतु प्रयोज्य मानदण्डों के अनुसार किए गए हों।

45.4 [2][विलोपित][2]

अध्याय–6 : गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन परियोजनाओं के लिए तकनीकी विशेष प्राचल

46. तकनीकी पहलू–

46.1 कोई परियोजना एक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन परियोजना के रूप में अर्हित होगी, यदि वह विनियम 4.4 के अधीन विनिर्दिष्ट अर्हताकारी मानदण्ड के अनुरूप हो।

47. पूंजीलागत और पूंजीलागत सूचकांकन प्रणाली–

47.1 गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन परियोजनाओं के लिए प्रतिमानकीय पूंजीलागत नियंत्रण अवधि (अर्थात् वित्तीय वर्ष 2012–13) के प्रथम वर्ष हेतु रूपये 420 लाख प्रतिमेगावॉट विचार में ली जाएगी।

2. विनियम क्रमांक 68/छ.ग.रा.वि.नि.आ./2016 द्वारा दिनांक 21.03.2016 से प्रतिस्थापित/विलोपित

47.2 गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन परियोजनाओं के नियंत्रण अवधि में दूसरे और तीसरे वर्ष में (अर्थात् वित्तीय वर्ष 2012–13 और वित्तीय वर्ष 2013–14) के लिए सूचकांकित पूंजीलागत पर विचार, गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ विनियमों में विहित सूचकांकन प्रणाली के अनुसरण में, ऐसी सूचकांकन पूंजीलागत की अधिसूचना जारी होने के उपरांत किया जाएगा।

47.3 गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन परियोजनाओं, जिन्होंने 1ली अप्रैल, 2012 से पूर्व वाणिज्यिक संचालन की दिनांक प्राप्त कर ली है, के लिए टैरिफ आयोग द्वारा संबंधित अनुमोदित आदेशों के माध्यम से, ऐसे आदेशों के परिवर्तन में रहने तक शासित होगा।

48. क्षमता उपयोगिता कारक–

48.1 निश्चित प्रभार निर्धारित करने के प्रयोजन से गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन परियोजनाओं का संयंत्र भार कारक नीचे विनियम 48.2 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट अनुसार और 92 प्रतिशत के लोड फैक्टर पर पैराई मौसम (क्रसिंग सीजन) और गैर मौसम के दौरान संचालन दिवसों में संयंत्र की उपलब्धता के आधार पर संगणित किया जाएगा।

48.2 संचालन दिवसों की संख्या निम्नानुसार रहेगी–

संचालन दिवस	संयंत्र भार कारक(%)
90 दिवस (पेराई, क्रसिंग)+60दिवस (गैर मौसम)=150 संचालन दिवस	38%

49. सहायक खपत–

49.1 टैरिफ के निर्धारण के लिए सहायक खपत 10 प्रतिशत की होगी।

50. स्टेशन ऊष्मा दर–

50.1 गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन परियोजनाओं के टैरिफ निर्धारण की संगणना के लिए अकेले विद्युत उत्पादन घटक हेतु विचारणीय स्टेशन ऊष्मा दर 3600 किला कैलोरी/किलोवॉट घंटा की रहेगी।

51. **कैलोरी मूल्य–**

51.1 खली (बगासी) के लिए सकल कैलोरी मूल्य 2250 किलो कैलोरी प्रतिकिलोग्राम, विचारणीय होगा। खली के अलावा कोई अन्य बायोमास ईंधन के लिए विनियम 44 के अधीन विनिर्दिष्ट कैलोरी मूल्य प्रयोज्य होगा।

52. ईंधन लागत–

52.1 नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष (अर्थात् वित्तीय वर्ष 2012–13) हेतु खली का मूल्य रूपये 1583 प्रति मीट्रिक टन होगा और उसके उपरांत इसे विनियम 52.3 के अधीन दिए गए सूचकांकन सूत्र से संबंद्ध कर दिया जाएगा।

52.2 सह–उत्पादन परियोजनाओं में खली के अलावा अन्य बायोमास के उपयोग के लिए बायोमास का मूल्य विनियम 45 के अधीन विनिर्दिष्ट किए अनुसार प्रयोज्य होगा।

53. नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु सह–उत्पादन विद्युत परियोजनाओं के प्रकरण में सूचकांकित खली के मूल्य पर विचार, ऐसे सूचकांकित बायोमास खली मूल्य के अधिसूचित होने के उपरांत किया जाएगा, जो केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग के नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ विनियमों द्वारा

विनिश्चित सूचकांकन प्रणाली के अनुरूप केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा राज्य में सह–उत्पादन विद्युत परियोजनाओं हेतु प्रयोज्य मानदण्डों के अनुसार किए गए हों अथवा परियोजना विकासकर्ता के विकल्प पर 5 प्रतिशत वार्षिक का प्रतिमानकीय परिवर्धन कारक प्रयोज्य होगा।

54. ईंधन मिश्र और सह–उत्पादन संयंत्र क्षमता–

54.1 सह–उत्पादन विद्युत संयंत्रों का रूपांकन सह–उत्पादन विद्युत परियोजना के क्षेत्र में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के गैर जीवाश्म ईंधनों जैसे– खली और फसल के अवशेष, बायोगैस, कृषि आद्यौगिक अवशेष, वन अवशेष आदि, और नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित अन्य बायोमास ईंधनों के उपयोग हेतु किया जा सकता है।

54.2 सह–उत्पादन परियोजनाओं का आकार स्थानीय रूप से उपलब्ध गैर जीवाश्म ईंधन के सह संबंध में, रखा जाएगा। सह–उत्पादन संयंत्र विकासकर्ता संबंधित परियोजनाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ईंधन की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु ईंधन प्रबंधन योजना लागू करेगा।

55. जीवाश्म ईंधन का उपयोग–

55.1 जीवाश्म ईंधन का उपयोग वार्षिक आधार पर कुल ईंधन खपत की किलो कैलोरी आधार पर सुसंगत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के दिशा–निर्देशों के अनुरूप होगा, जो वर्तमान में 15 प्रतिशत है।

56. जीवाश्म ईंधन के उपयोग हेतु निगरानी प्रणाली–

56.1 जीवाश्म ईंधन के उपयोग हेतु निगरानी प्रणाली विनियम 42 में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार शासित होगी।

57. निगरानी अभिकरण द्वारा सांख्यिकी और रिटर्न मांगने की शक्ति–

57.1 निगरानी अभिकरण द्वारा सांख्यिकी और रिटर्न मांगने की शक्ति विनियम 42 में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार शासित होगी।

58. संचालन और संधारण व्यय–

58.1 नियंत्रण अवधि के पहले वर्ष (अर्थात् वित्तीय वर्ष 2012–13) के लिए प्रतिमानकीय संचालन और संधारण व्यय रूपये 16 लाख प्रतिमेगावॉट होगा।

58.2 इन विनियमों के अधीन नियंत्रण अवधि के प्रारंभ में अनुमत किए गए प्रतिमानकीय संचालन और संधारण व्ययों को 5.72 प्रतिशत वार्षिक की दर से परिवर्धित किया जाएगा।

अध्याय–7 : सौर पी.व्ही. विद्युत परियोजनाओं के लिए तकनीकी विशेष प्राचल

59. तकनीकी पहलू–

59.1 इन विनिमयों के अधीन सौर पी.व्ही. विद्युत के लिए प्रतिमानक ग्रिड संयोजित पी.व्ही. प्रणालियों जिनकी स्थापित क्षमता एक मेगावॉट से अधिक जो सीधे सौर ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित करते हैं और जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा यथा अनुमोदित तकनीकों जैसे– क्रिस्टलाईन सिलीकॉन अथवा पतली फिल्म आदि पर आधारित हैं, पर प्रयोज्य अनुसार होंगे।

60. पूंजीलागत–

60.1 सौर पी.व्ही. विद्युत परियोजना लगाने के लिए प्रतिमानकीय पूंजीलागत वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु रूपये 1000 लाख प्रति मेगावॉट होगी। बाजार से जुड़ी दरों के अनुसार लागत पूंजी का पुनरीक्षण प्रतिवर्ष होगा।

60.2 सौर पी.व्ही. विद्युत परियोजना, जिन्होंने 1ली अप्रैल, 2012 से पूर्व वाणिज्यिक संचालन दिनांक प्राप्त कर लिया है, कि पूंजीलागत आयोग द्वारा संबंधित अनुमोदित आदेशों के माध्यम से, इन आदेशों के प्रवर्तन तक शासित होगी।

61. क्षमता उपयोगिता कारक–

61.1 सौर पी.व्ही. विद्युत परियोजना के लिए क्षमता उपयोगिता कारक 19 प्रतिशत होगा।

62. संचालन और संधारण व्यय–

62.1 संचालन के प्रथम वर्ष हेतु संचालन और संधारण व्यय रूपये 11 लाख प्रति मेगावॉट होगा।

62.2 इन विनियमों के अधीन टैरिफ अवधि के प्रारंभ में अनुमत प्रतिमानकीय संचालन और संधारण व्ययों को 5.72 प्रतिशत वार्षिक की दर से परिवर्धित किया जाएगा।

अध्याय–8 : सौर तापीय विद्युत परियोजनाओं के लिए तकनीकी विशेष प्राचल

63. तकनीकी पहलू–

63.1 इन विनियमों के अधीन सौर ताप विद्युत के लिए प्रतिमानक सांद्र सौर विद्युत तकनीकों नामतः रेखिक केन्द्रण (फोकसिंग) अथवा बिन्दु केन्द्रण, नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा यथा अनुमोदित, और सीधे सूर्य के प्रकाश को उपयोग में लाकर इसे कई गुना सांद्र करते हुए ऊर्जा के उच्चतर घनत्व को प्राप्त करती हैं और इस प्रकार उच्चतर तापमान और उससे उत्पन्न ताप का उपयोग पारंपरिक विद्युत साईकल को चलाने में करते हैं जिससे विद्युत का उत्पादन होता है, पर प्रयोज्य होंगे।

64 पूंजीलागत–

64.1 सौर ताप विद्युत परियोजना लगाने के लिए प्रतिमानकीय पूंजीलागत वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु रूपये 1300 लाख प्रति मेगावॉट होगी। बाजार से जुड़ी दरों के अनुसार लागत पूंजी का पुनरीक्षण प्रतिवर्ष होगा।

65. क्षमता उपयोगिता कारक–

65.1 सौर ताप विद्युत परियोजना के लिए क्षमता उपयोगिता कारक 23 प्रतिशत होगा।

66. संचालन और संधारण व्यय–

66.1 संचालन के प्रथम वर्ष हेतु संचालन और संधारण व्यय रूपये 15 लाख प्रति मेगावॉट होगा।

66.2 इन विनियमों के अधीन टैरिफ अवधि के प्रारंभ में अनुमत प्रतिमानकीय संचालन और संधारण व्ययों को 5.72 प्रतिशत वार्षिक की दर से परिवर्धित किया जाएगा।

67. सहायक खपत–

67.1 सहायक खपत कारक 10 प्रतिशत होगा।

68. संकर सौर ताप विद्युत संयंत्र–

68.1 संकर सौर ताप विद्युत संयंत्रों के लिए पूंजीलागत, सहायक खपत कारक, क्षमता उपयोग कारक, संचालन और संधारण व्यय और अन्य सुसंगत प्राचल आयोग द्वारा प्रकरणवार आधार पर अभिनिश्चित किए जाएंगे।

अध्याय–9 : विविध

69. प्रतिमानकों से विचलन–

69.1 उत्पादन कंपनी द्वारा विद्युत के विक्रय हेतु टैरिफ को इन विनियमों में विनिर्दिष्ट प्रतिमानों के विचलन में इस शर्त के अधीन निर्धारित किया जा सकता है कि इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट प्रतिमानों से विचलन के कारणों को लिखित में अभिलिखित किया जाए।

70. छूट देने की शक्ति–

70.1 आयोग अपने सामान्य अथवा विशेष आदेश से कारणों को अभिलिखित करते हुए और प्रभावित हो सकने वाले पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देने के उपरांत इन विनियमों के किन्हीं प्रावधानों को स्वयं अपनी ओर से अथवा उसके समक्ष किसी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा आवेदन किए जाने पर, छूट प्रदान कर सकेगा।

71. कठिनाईयॉ दूर करने की शक्ति–

71.1 यदि इन विनिमयों को प्रवृत्त करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो आयोग स्वप्रेरणा से अथवा अन्यथा आदेश जारी करके तथा जो उस आदेश से प्रभावित हो सकते हों उन्हें समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करके, इन विनियमों से सुसंगत ऐसे प्रावधान कर सकेगा, जो कठिनाई को दूर करने के लिए आयोग द्वारा आवश्यक समझे जाएं।

72. निरसन–

72.1 इन विनियमों के जारी होने के उपरांत पूर्व के विनियम नामतः छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अपारंपरिक ऊर्जा–स्त्रोतों पर आधारित संयंत्रों द्वारा उत्पादित व़िद्युत हेतु उत्पादन टैरिफ की अवधारणा हेतु निबंधन एवं शर्ते तथा संबंधित विषय–वस्तु) विनियम, 2008 निरसित समझे जाएंगे।

टीपः– इन विनियमों के हिन्दी पाठ से अंग्रेजी पाठ के निर्वचन अथवा समझ में किसी तरह के मतभेद होने की दशा में, आयोग का निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा।

आयोग के आदेशानुसार

(पी.एन.सिंह)
सचिव

प्रपत्र–1.1 (पवन विद्युत/लघु जल परियोजना/सौर पी.व्ही/सौर तापीय) टैम्पलेट (सांचा): प्राचल धारणा

क्र.	धारणा शीर्ष	उपशीर्ष	उपशीर्ष (2)	यूनिट	प्राचल मूल्य
1.	**विद्युत उत्पादन**				
		क्षमता			
			स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता	मेगावॉट	
			क्षमता उपयोगिता कारक	%	
			वाणिज्यिक संचालन की दिनांक	माह/वर्ष	
			उपयोगी जीवनकाल	वर्ष	
2.	**परियोजना लागत**				
		पूंजीगत लागत/मेगावॉट			
			मानदण्डीय लागत पूंजी	रू. लाख/मेगावॉट	
			लागत पूंजी	रू. लाख	
			पूंजी सबसीडी, यदि कोई हों	रू. लाख	
			सकल लागत पूंजी		
3.	**वित्तीय धारण**				
			टैरिफ अवधि	वर्षो	
		ऋणःसाम्या			
			ऋण	%	
			साम्या	%	
			कुल ऋण राशि	रू. लाख	
			कुल साम्या राशि	रू. लाख	
		ऋण घटक			
			उधार राशि	रू. लाख	
			आस्थगण अवधि	वर्षो	
			पुनर्भुगतान अवधि (आस्थगण सहित)	वर्षो	
			ब्याज की दर	%	
		साम्या घटक			
			साम्या राषि	रू. लाख	
			साम्य प्रतिफल पहले 10 वर्ष	%प्रतिवर्ष	
			साम्य प्रतिफल 11 वे वर्ष से	%प्रतिवर्ष	
		घसारा			
			घसारा दर–पहले 10 वर्ष	%	
			घसारा दर पहले 13 वें वर्ष से	%	
4.	**संचालन और संधारण**				
		मानदंडीय संचालन और संधारण व्यय		रू. लाख/मेगावॉट	
		प्रतिवर्ष मानदंडीय संचालन और संधारण व्यय		रू. लाख	
		पूरवर्धि कारक संचालन और संधारण व्यय हेतु		%	
5.	**कार्यषील पूंजी**				
		संचालन और संधारण व्यय		माह	
		संधारण अतिरिक्त	संचालन/संधारण व्यय का प्रतिषत	%	
		प्राप्तव्य		माह	
		कार्यषील पूंजी पर ब्याज		%प्रतिवर्ष	

प्रपत्र–1.2 टैरिफ घटकों के निर्धारणप हेतु (पवन विद्युत/लघु जल परियोजना/सौर पी. व्ही/सौर तापीय) टेम्पलेट (सांचा):

इकाई का उत्पादन	**इकाई**	**1–वर्ष**	**2–वर्ष**	**3–वर्ष**	**4–वर्ष**	**5–वर्ष**
स्थापित क्षमता	मेगावॉट					
कुल उत्पादन	मेगायूनिट					
टैरिफ घटक (स्थिर प्रभार)	**इकाई**	**1–वर्ष**	**2–वर्ष**	**3–वर्ष**	**4–वर्ष**	**5–वर्ष**
संचालन/संधारण व्यय	रू.लाख					
मूल्यह्रास(घसारा)	रू.लाख					
अवधि ऋण पर ब्याज	रू.लाख					
कार्यषील पूंजी पर ब्याज	रू.लाख					
साम्य पर प्रतिफल	रू.लाख					
कुल स्थिर लागत	**रू.लाख**					
प्रतिइकाई टैरिफ घटक	**इकाई**	**1–वर्ष**	**2–वर्ष**	**3–वर्ष**	**4–वर्ष**	**5–वर्ष**
प्रतिइकाई संचालन/संधारण व्यय	रू. प्रतिकिलोवॉट					
प्रतिइकाई मूल्यह्रास	रू. प्रतिकिलोवॉट					
प्रतिइकाई अवधि ऋण पर ब्याज	रू. प्रतिकिलोवॉट					
प्रतिइकाई कार्यषील पूंजी पर ब्याज	रू. प्रतिकिलोवॉट					
प्रतिइकाई साम्या पर प्रतिफल	रू. प्रतिकिलोवॉट					
प्रतिइकाई टैरिफ घटक	**रू. प्रतिकिलोवॉट**					

प्रपत्र–2.1: बायोमास विद्युत/गैर जीवाष्म ईंधन आधारित सह–उत्पादनः प्राचल(पैरामीटर) धारणाओं का नमूना

क्र.	धारणा शीर्ष	उपशीर्ष	उपशीर्ष (2)	यूनिट	प्राचल मूल्य
1.	**विद्युत उत्पादन**				
		क्षमता			
			स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता	मेगावॉट	
			सहायक खपत का घटक	%	
			वाणिज्यिक संचालन की प्रथम छःमाही में पी.एल.एफ	%	
			वाणिज्यिक संचालन के प्रथम वर्ष के अगले छःमाही में पी. एल.एफ	%	
			वाणिज्यिक संचालन के दूसरे वर्ष से पी.एल.एफ	%	
			वणिज्यिक उत्पादन की दिनांक	माह/वर्ष	
			उपयोगी जीवनकाल	वर्ष	
2.	**परियेाजना लागत**				
		पूंजीगत लागत/मेगावॉट			
			मानदण्डीय लागत पूंजी	रू. लाख/मेगावॉट	
			लागत पूंजी	रू. लाख	
			पूंजी सबसीडी, यदि कोई हों	रू. लाख	
			सकल लागत पूंजी		
3.	**वित्तीय धारण**				
			टैरिफ अवधि	वर्षो	
		ऋणःसाम्या			
			ऋण	%	
			साम्या	%	
			कुल ऋण राशि	रू. लाख	
			कुल साम्या राशि	रू. लाख	
		ऋण घटक			
			उधार राशि	रू. लाख	
			आस्थगण अवधि	वर्षों	
			पुनर्भुगतान अवधि (आस्थगण सहित)	वर्षो	
			ब्याज की दर	%	
		साम्या घटक			
			साम्या राषि	रू. लाख	
			साम्य प्रतिफल पहले 10 वर्ष	%प्रतिवर्ष	
			साम्य प्रतिफल 11 वे वर्ष से	%प्रतिवर्ष	
		मूल्यह्रास (घसारा)			
			मूल्यह्रास दर–पहले 12 वर्ष	%	
			मूल्यह्रास दर पहले 13 वें वर्ष से	%	
4.	**संचालन और संधारण**				
		मानदंडीय संचालन और संधारण व्यय		रू. लाख/मेगावॉट	
		प्रतिवर्ष मानदंडीय संचालन और संधारण व्यय		रू. लाख	
		पूरवर्धि कारक संचालन और संधारण व्यय हेतु		%	

5.	**कार्यषील पूंजी**				
		संचालन और संधारण व्यय		माह	
		संधारण अतिरिक्त	संचालन / संधारण व्यय का प्रतिषत	%	
		प्राप्तव्य		माह	
		बायोमास भंडार		माह	
		कार्यषील पूंजी पर ब्याज		%प्रतिवर्ष	
6.	**ईंधन संबंधित धारणाएं**				
		स्टेशन ऊष्मा दर	स्थिरीकरण के दौरान	कैलोरी / किलोवॉट	
			स्थिरीकरण के बाद	कैलोरी / किलोवॉट	
		ईंधन प्रकार और मिश्र	बायोमास ईंधन प्रकार–1	%	
			बायोमास ईंधन प्रकार–2	%	
			जीवाश्म ईंधन (कोयला)	%	
			बायोमास ईंधन प्रकार–1 जी. सी.व्ही.	कैलोरी / किलोग्राम	
			बायोमास ईंधन प्रकार–2 जी. सी.व्ही.	कैलोरी / किलोग्राम	
			जीवाश्म ईंधन का (कोयला) जी.सी.व्ही.	कैलोरी / किलोग्राम	
			बायोमास मूल्य (ईंधन प्रकार–1): वर्ष 1	रू. / एम.टी	
			बायोमास मूल्य (ईंधन प्रकार–2): वर्ष 1	रू. / एम.टी	
			जीवाश्म ईंधनमूल्य (कोयला) वर्ष 1	रू. / एम.टी	
			ईंधन मूल्य परिवर्धन कारक	%प्रतिवर्ष	

प्रपत्र–2.2: टैरिफ घटकों के निर्धारणः नमूना (बायोमास विद्युत या गैर जीवाष्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन)

इकाई का उत्पादन	इकाई	1–वर्ष	2–वर्ष	3–वर्ष	4–वर्ष	5–वर्ष
स्थापित क्षमता	मेगावॉट					
कुल उत्पादन	मेगायूनिट					
टैरिफ घटक (स्थिर प्रभार)	**इकाई**	**1–वर्ष**	**2–वर्ष**	**3–वर्ष**	**4–वर्ष**	**5–वर्ष**
संचालन / संधारण व्यय	रू.लाख					
मूल्यह्रास(घसारा)	रू.लाख					
अवधि ऋण पर ब्याज	रू.लाख					
कार्यषील पूंजी पर ब्याज	रू.लाख					
साम्य पर प्रतिफल	रू.लाख					
कुल स्थिर लागत	**रू.लाख**					
टैरिफ घटक (परिवर्तनीय प्रभार)	**इकाई**	**1–वर्ष**	**2–वर्ष**	**3–वर्ष**	**4–वर्ष**	**5–वर्ष**
बायोमास ईंधन प्रकार–1	रू.लाख					
बायोमास ईंधन प्रकार–2	रू.लाख					
जीवाश्म ईंधन (कोयला)	रू.लाख					
उप योग (ईंधन लागत)	**रू.लाख**					
विद्युत से आबंटित ईंधन लागत	%					
योग–ईंधन लागत	**रू.लाख**					
प्रतियूनिट टैरिफ घटक(स्थिर)	**इकाई**	**1–वर्ष**	**2–वर्ष**	**3–वर्ष**	**4–वर्ष**	**5–वर्ष**
प्रतिइकाई संचालन / संधारण व्यय	रू. प्रतिकिलावॉट					
प्रतिइकाई मूल्यह्रास	रू. प्रतिकिलावॉट					
प्रतिइकाई अवधि ऋण पर ब्याज	रू. प्रतिकिलावॉट					
प्रतिइकाई कार्यषील पूंजी पर ब्याज	रू. प्रतिकिलावॉट					
प्रतिइकाई साम्या पर प्रतिफल	रू. प्रतिकिलावॉट					
प्रतिइकाई टैरिफ घटक (स्थिर)	**रू. प्रतिकिलावॉट**					
प्रतिइकाई टैरिफ घटक (परिवर्तनीय)	**रू. प्रतिकिलावॉट**					
प्रतिइकाई टैरिफ घटक(कुल)	**रू. प्रतिकिलावॉट**					

प्रपत्र–3.1 बायोमास विद्युत/गैर जीवाष्म ईंधन आधारित सह–उत्पादनः ईंधन उपयोगिता विवरण

क्र.	माह	बायोमास ईंधन–1 की खपत (टन में)			बायोमास ईंधन–2 की खपत (टन में)			बायोमास ईंधन–1 की खपत (टन में)			जीवाश्म ईंधन(कोयला) खपत (टन में)			कुल ईंधन खपत से जीवाष्म ईंधन का प्रतिषत		माह में (किवाघंटा) विद्युत उत्पादन		संचयी विद्युत का उत्पादन; मासांत तक वित्तीय वर्ष के दौरान	
		ईंधन का प्रकार	चालू माह के दौरान	कैलोरी मूल्य	ईंधन का प्रकार	चालू माह में	कैलोरी मूल्य	ईंधन का प्रकार	चालू माह के दौरान	कैलोरी मूल्य	उपयागिता कोयले की श्रेणी	चालू माह में	कैलोरी मूल्य	चालू माह के दौरान	विगत 12 माह में संचयी	स्कल	शुद्ध	स्कल	शुद्ध
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	अप्रैल																		
2	मई																		
3	जून																		
4	जुलाई																		
5	अगस्त																		
6	सितंबर																		
7	अक्टूबर																		
8	नवंबर																		
9	दिसंबर																		
10	जनवरी																		
11	फरवरी																		
12	मार्च																		

प्रपत्र–3.2 मासिक ईंधन उपयोगिता विवरण(2/2)

मासिक अद्यतन

परियोजना का नाम

(स्थान, जिला) वित्तीय वर्ष

क्रेडा/उपक्रम संदर्भ क्र. विवरण दिनांक

स्थापित क्षमता (मेगावॉट) परियोजना कोड

प्रारंभ (चालू) होने की दिनांक

क्र.	माह	बायोमास ईंधन–1 की खपत (टन में)			बायोमास ईंधन–2 की खपत (टन में)			बायोमास ईंधन–3 की खपत (टन में)			जीवाश्म ईंधन (कोयला) खपत (टन में)		
		प्रारंभिक भंडारण	विद्युत संयंत्र के स्थल पर प्राप्त	शेष भंडार	प्रारंभिक भंडारण	विद्युत संयंत्र के स्थल पर प्राप्त	शेष भंडार	प्रारंभिक भंडारण	विद्युत संयंत्र के स्थल पर प्राप्त	शेष भंडार	प्रारंभिक भंडारण	विद्युत संयंत्र के स्थल पर प्राप्त	शेष भंडार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	अप्रैल												
2	मई												
3	जून												
4	जुलाई												
5	अगस्त												
6	सितंबर												
7	अक्टूबर												
8	नवंबर												
9	दिसंबर												
11	फरवरी												
12	मार्च												